खण्ड-7 संख्या-14

बिहार विधानसभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

[भाग-2—कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित]

बुधवार, तिथि 14 जुलाई, 1982।

विषय-सूची

	पृष्ठ संख्या
सामान्य लोकहित के विषय पर विमर्श:	1—27
मुंगेर जिला के धरहरा थानान्तर्गत बंगलवा गांव में हुए उपद्रव	
अध्यक्षीय घोषणा :	27
स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ :	28
शून्य-काल की चर्चाएँ :	29—33
(क) श्री विनोद सिंह, स० वि० स० की गिरफ्तारी	
(ख) मखवा ग्राम में ट्रांसफारमर की व्यवस्था	
(ग) बिहार सैनिक पुलिस में आरक्षण की उपेक्षा	
(घ) श्री फतरंगी राम के परिवार को सुरक्षा प्रदान करना	
(ङ) दारोगा के ऊपर आवश्यक कारंवाई	
(च) सूर्यगढ़ा को अकाल क्षेत्र घोषित करना	
(छ) एफ० आई० आर० में दर्ज अभियुक्त की गिरफ्तारी	
(ज) बागमती नदी से नारायणपुर गांव का कटाव	
(झ) गया जिला में उर्दू शिक्षकों की बहाली	
(ञ) सुखाड़ से मुकाबला करने का प्रयास	

पिछले वर्ष उच्च स्तरीय बाढ़ नियन्त्रण समिति द्वारा स्थानीय निरीक्षण कर कटाव से बचाव के लिये कतिपय योजनाओं को अनुशंसित किया गया था, परन्तु अभी तक कटाव से बचाने का उपाय सरकार द्वारा नहीं किया गया है। कटाव जारी है। इस वर्ष दरौली, रघुनाथपुर एवं सिसवन प्रखण्डों के कुछ गांव नदी के गर्भ में चले जायेंगे। अतः हम भयंकर कटाव को रोकने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ठ करते हैं।

श्री रामदेव राय—अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब 20 तारीख को देंगे।

(इस अवसर पर कई माननीय सदस्य खड़े हो गये—शोरगुल)

अध्यक्ष—इसका जवाब 19 तारीख (सोमवार) को दीजिये।

श्री रामदेव राय—ठीक है।

आय-व्ययक : 1982-83 वर्ष के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर मतदान : वन।

श्री टी॰ मुचि राय मुण्डा—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"वन" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होनेवाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा उसी की पूर्ति के लिये 19,92,80,000 (उन्नीस करोड़, बानवे लाख, अस्सी हजार रु॰) से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

अध्यक्ष—इस पर कटौती के प्रस्ताव हैं। व्यापक कटौती के प्रस्ताव क्रमांक 471-474 हैं। श्री अकलू राम महतो, आप अपना कटौती का प्रस्ताव पेश करें।

कटौती-प्रस्ताव—इस खर्च के औचित्य पर विचार-विमर्श।

श्री अकलू राम महतो—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

इस शीर्षक की मांग 10 रु॰ से घटायी जाय। राज्य सरकार की वन सम्बन्धी नीति पर विचार-विमर्श करने के लिये।

(इस अवसर पर माननीय सदस्य श्री इन्दर सिंह नामधारी सभापति का आसन ग्रहण किये।)

सभापति महोदय, बिहार में 17.7 प्रतिशत जंगल क्षेत्र है। और इन जंगलों और वनों में आदिवासियों का स्थान रहा है। वन विभाग जहां तक सरकार से ताल्लुकात रखता है, सभापति महोदय, यह भोगोलिक दृष्टिकोण से एक ऐसा ट्रौपिकल एरिया है कि इन वनों का रेंज छोटानागपुर के शृंखलाओं से संथालपरगना के क्षेत्र में और चम्पारण के क्षेत्र में है और जहां बिहार का पूरा क्षेत्रफल का 17.7 प्रतिशत जंगल है, उस 17.7 प्रतिशत में से कम-से-कम 16 प्रतिशत जंगल छोटानागपुर, संथालपरगना में है। सभापति महोदय, 1952 में भारत सरकार ने एक रिकोमन्डेशन दिया था कि हिन्दुस्तान में एक तिहाई हिस्सों में जंगलों का, वनों का कभरेज हो।

सभापति महोदय, आपको आश्चर्य होगा कि 1952 के पहले जिस तरह के प्राकृतिक जंगल, जिस भौगोलिक स्थिति में जंगल लगे थे और जिस भौगोलिक स्थिति में आदिवासी रह रहे थे, आज उसकी स्थिति क्या हो गयी है? जंगल एक वन सम्पदा है और वन सम्पदा से जो राजस्व प्राप्त होता है, इस राजस्व की प्राप्ति में बिहार सरकार उसपर एक पैसा भी खर्च नहीं करती है। 1952 के पहले या 1947 के पहले तक जो आदिवासी जो मूल जंगल में रहनेवाला आदिवासी, जंगल से अपनी रोजगार की समस्या हल कर लिया करता था। आज उन जंगल वासियों से जमीन छीनी जा रही है और उनलोगों को बेघर किया जा रहा है। 1980-81 में जंगल से 15 करोड़ 69 लाख 8 हजार रु० का राजस्व प्राप्त हुआ था और वन विभाग पर 11 करोड़ 78 लाख 59 हजार रु० खर्च हुआ। इस तरह फिर भी 4 करोड़ से ज्यादा रुपया खर्च करने के बाद भी वन विभाग को बचत हुआ। बिहार सरकार जंगल से जितना राजस्व प्राप्त कर रही है लेकिन सचमुच देखा जाय तो बिहार सरकार ने वन के डेभलपमेन्ट के लिए कोई काम नहीं किया है। सभापति महोदय, छोटानागपुर और संथाल परगना के आदिवासी और मूलवासियों के साथ जंगल विभाग ने न्याय नहीं किया। जंगल विभाग वन राजस्व देता है और लेना चाहती है लेकिन इसके बदले सिंहभूम के गुआ के जंगल में आदिवासी पत्ता तोड़ता है, जमीन लेना चाहता है तो ये सरकार उनको गोली मारती है। 1980-81 में 15 करोड़ 64 लाख 8 हजार रु० इन्हें प्राप्त हुआ लेकिन इससे आदिवासियों को क्या मिला? इस शीर्षक की मांग 10 रु० से ही नहीं घटाई जाए बल्कि पूरे मांग को ही नहीं देना चाहिए। आपने आदिवासियों को, जो जंगल का संरक्षण करते हैं उन्हें गोली मारने का काम किया है। डॉ० जगन्नाथ मिश्र ने अपने बजट भाषण में कहा था कि आदिवासियों की कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए ठीकेदार द्वारा वनों को बेरहमी से नष्ट करने की प्रवृत्ति को देखते हुए, ठीकेदारी प्रथा उन्मूलन की नीति

सरकार ने बनाया है। मुख्य मन्त्री ने कहा कि ठीकेदारी प्रथा समाप्त किया जायगा लेकिन आजतक ठीकेदारी प्रथा चल रही है। ठीकेदारी प्रथा चलने के बावजूद केन्दु पत्ता तोड़नेवाले आदिवासी की बहुत दुर्दशा हो रही है। लाह तोड़नेवाले आदिवासियों की दुर्दशा हो रही है, मधु एकत्र करनेवाले आदिवासियों की दुर्दशा हो रही है, बसर पालने-वालों की दुर्दशा हो रही है। सरकार उनलोगों से वायदे बहुत करती है। सरकार उनके विकास के लिए, वनवासियों के विकास के लिए वन के विकास के लिए बड़ी-बड़ी योजनायें रखती है लेकिन ये योजनाएं उनतक नहीं पहुँच पाती हैं। केन्दु पत्ता से सरकार को 5 करोड़ 51 लाख रु० प्राप्त हुआ लेकिन उस केन्दु पत्ता में काम करनेवाले आदि-वासियों को सरकार 5.50 रुपए मजदूरी देती है। सरकार कहती है कि हमने मजदूरी बढ़ा दिया। 5.50 रुपए से क्या होगा। जंगल का फल खाकर जंगल का साग खाकर और जंगली जानवरों को मांस खाकर ये लोग गुजरबसर करते है। इन्होंने 5.50 रुपए मजदूरी कर दी तो उन लोगों के साथ कोई मेहरबानी नहीं किया। ये सरकार बहुत ढीढोरा पीटती है कि हम विकास का काम करनेवाले हैं, यह करनेवाले हैं, वह करनेवाले हैं लेकिन ये सरकार आदिवासियों के साथ न्याय नहीं कर सकी है। वन के साथ न्याय नहीं कर सकी है। आदिवासियों को वाइल्ड लाईफ कहा जाता है। आज छोटानागपुर से जो व्यक्ति आता है उसे जंगली कहा जाता है। ऐसी संज्ञा छोटानागपुर के लोगों के लिए है। ये सर-कार उनको नौकरी देने की बात करती है, हां, जब सरकार कैबिनेट बनाने लगती है तो छोटानागपुर के हरिजन और आदिवासी को मन्त्री जरूर बना देती है। एक फौरेस्ट गार्ड बनाने के लिए, फौरेस्टर बनाने के लिए, रेन्जर बनाने के लिए और मजदूर बनाने के लिए उनलोगों को काबिल नहीं समझती है। जंगल की ट्रेनिंग देने के लिए चाईबासा में ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट खोला गया है। 6ठी पंचवर्षीय योजना में 2 हजार फौरेस्ट गार्ड की ट्रेनिंग दी जायगी। 200 फौरेस्टर की ट्रेनिंग दी जायगी लेकिन इसमें कभी जिक्र नहीं किया गया कि जंगल में रहनेवाले लोगों को ट्रेनिंग दी जायगी। जंगल में रहनेवाले लोगों को ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। वे जंगल में पैदा होते हैं और स्वयं ट्रेन्ड हो जाते हैं। चाईबासा में जो ट्रेनिंग हो रही है उसमें 50 प्रतिशत से अधिक ऐसी जगह के लोग ट्रेनिंग पा रहे हैं जो छोटानागपुर के नहीं हैं। सभापति महोदय, जितने जंगल थे उसे काटकर कोयलवरी बना, जितने हेक्टेयर जमीन में जंगल 1952 तक था वे अब नहीं हैं। उसकी कटाई करके कोयलवरी बनाया गया, जितने भी माइन्स है वे जंगल एरिया में हैं।

जितने भी कोइलवरी हैं, अबरख माइन्स हैं, लोहा का माइन्स हैं, सभी के सभी माइन्स जंगल में ही हैं। आज जंगल को काटकर ही हटिया और

बोकारो का कारखाना खड़ा किया गया है। इसलिए मेरा कहना है कि आप हमारे जंगल को उजाड़ रहे हैं, हमारे खनिज को लूट रहे हैं। यह आप वन के साथ इन्साफ नहीं कर रहे हैं। आपके विभाग का अगर कोई पदाधिकारी का 1 करोड़ 7 लाख रुपये का घोटाला का प्रश्न सदन में आयेगा, फिर भी आप उसको प्रोन्नति देंगे ही। दूसरी बात मुझे कहनी है कि अभी भी जंगल विभाग के नाम पर जिस रैयतों को मुआवजा नहीं दिया गया है, उसको मुआवजा दिया जाय। 1956 में नोटिफिकेशन हुआ लेकिन आज तक उसका मुआवजा नहीं दिया गया है और अभी भी जंगल विभाग दावा पर दावा करता रहता है।

सभापति (श्री इन्दर सिंह नामधारी)—अब आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री थकलू राम महतो—गुवा में जो आदिवासियों पर गोली चली थी, उसमें क्या हुआ था।

सभापति (श्री इन्दर सिंह नामधारी)—आप लिखित रूप में दे दें, वह प्रोसिडिंग के पार्ट में चला जायगा।

श्री कृष्णानन्द झा—सभापति महोदय, वन मंत्री ने जो बजट अभी सदन में प्रस्तुत किया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। लेकिन चिन्ता इस बात की है कि जिस गति से हमारे राज्य में जंगल की कटाई हो रही है, आज उस पर सबको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आंकड़ा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 30-32 साल के दरम्यान में 25-30 प्रतिशत भू-भाग में लगे हुए जंगल को काट दिया गया है। इसका प्रभाव प्रकृति पर भी पड़ता है और विभिन्न पहलूओं पर भी पड़ता है। अगर इसी तरह से जंगल कटता जायगा और जंगल नहीं रहेगा तो यह देश के लिये दुर्भाग्य की बात होगी। इसका सीधा प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है। आज नदियों में जो बाढ़ आती है, इसका कारण भी जंगल कटना ही है। पहाड़ पर जब जंगल काटा जाता है तो उसकी मिट्टी वर्षात् के दिनों में दहकर नीचे की नदी में आ जाती है और उसके बेड को भरते जाती है। इसलिए वर्षात के समय नदियों में बाढ़ आ जाती है। अभी भी जहां पर जंगल हैं और जहां पर जंगल नहीं हैं, उसका आंकड़ा लेकर आप देखें तो पता चलेगा कि जहां पर जंगल हैं वहां पर वर्षा अधिक होती है। जंगल की कटाई जिस रफ्तार से हो रही है, उसका जो विशेष मुद्दा है, मैं सरकार का ध्यान उस ओर ले जाना चाहता हूं। अभी जशीडीह, सिमुलतल्ला और झाझा से 'दतवन' देश के विभिन्न भागों में जाता है। एक दतवन के काटने का मतलब है कि

एक पेड़ कट रहा है। जिस रफ्तार से कट रहा है इससे उम्मीद की जाय कि यदि यही रफ्तार चलती रही और सरकार का ध्यान उस ओर नहीं गया तो अगले दस-बीस सालों के अन्दर जंगल की क्या अवस्था होगी, यह आप स्वयं सोच सकते हैं।

यह बात सही है कि आदिवासियों की परम्परा, उनकी संस्कृति, उनकी सारी चीजें जंगल से जुड़ी हुई हैं। आज जंगल कटते चले जा रहे हैं वैसी स्थिति में जो जंगलों पर ही आधारित हैं उनके रोजगार के बारे में सरकार सोचे। स्कैन्डीनेविया का आर्थिक ढांचा जंगलों से ही बना हुआ है, उसके उद्योग पर ही आधारित है। हमारे यहां भी बहुत अच्छे-अच्छे जंगल हैं, सब तरह की लकड़ियां यहां हैं तो इस पर आधारित उद्योग का विकास यहां भी क्यों नहीं किया जाता है? मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि जंगल पर आधारित उद्योग के कम्प्लेक्स का डेवलपमेंट हो। इससे दो पहलुओं का, दो मसलों का हल होता है। जो लोग जंगल पर ही आधारित हैं, जो जंगल से लकड़ी काटकर बेचते हैं उनका नियोजन होगा और साथ-साथ उससे सरकार को अच्छा रेवेन्यु मिलेगा और साथ ही साथ जंगल की भी सुरक्षा होगी।

इस राज्य में वाइल्ड लाइफ रिजर्वेशन ऐक्ट लागू है। सरकार इसके लिए चिन्तित है कि इनकी सुरक्षा की जाय, इनकी बढ़ोत्तरी की जाय लेकिन जब जंगल ही नहीं रहेगा तो इनकी सुरक्षा और बढ़ोत्तरी की बात क्या होगी? जंगल कट जाने के बाद इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। नेशनल पार्क या रिजर्व फौरेस्ट जो हैं वे बहुत सीमित हैं। सरकार को नेशनल पार्क और रिजर्व फौरेस्ट के अलावे जो जंगल हैं उनको भी बचाने का काम करना है और वह उसे करती है चूंकि उससे सरकार को रेवेन्यु मिलता है। मोटे तौर पर नियमानुसार जंगल को छोटे-छोटे ब्लौक में बांटा जाता है और इस हिसाब से जंगल की कटाई होती है। लेकिन देखा यह जाता है कि नियमानुसार जंगलों की कटाई होती नहीं है इसलिए सरकार को चाहिए कि फौरेस्टर और रेंजर इस बात को देखें ताकि जो कटाई हो रही है वह सही ढंग से हो। अगर आप इसे नहीं देखेंगे तो जो नतीजा हो रहा है उसके अनुसार जंगल साफ होता जा रहा है।

हाल में अखबारों में समाचार आया था हजारीबाग में भेड़िये के उपद्रव का। सरकार द्वारा गत सत्र में भी दस-दस हजार रुपया मृतकों के परिवार को देने की बात कही गयी थी, फिर इस साल भी पुरानी कथा दुहराई जा रही है। हाल में 6 महीने के अन्दर देवघर, चानन, कटोरिया, में एक टाइगर आ गया है जिसने करीब-करीब 50 हजार मूल्य के लोगों के पालतू पशुओं को मार दिया है। इस बात की रिपोर्ट

हमलोगों ने सरकार में दी थी, वह रिपोर्ट यहां आ गयी है। हमको डर है, हो सकता है कि वह टाईगर मारा जाय इसलिए सरकार उसके प्रोटेक्शन की व्यवस्था करे और साथ-ही-साथ गरीब लोगों के, आदिवासियों के बहुत से पालतू पशुओं जो अच्छे-अच्छे नस्ल के थे, मारे गए उनको उचित मुआवजा सरकार दे।

इन्हीं शब्दों के साथ में वन विभाग के बजट का समर्थन करता हूं।

श्री टीकाराम मांझी—सभापति महोदय, माननीय वन मंत्री महोदय द्वारा जो मांग सदन में प्रस्तुत है, उसके विरोध में बोलने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। यों, यह बात सही है कि वन की रक्षा कैसे की जाय, जंगलों को कैसे बचाया जाय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देश में जितनी जमीन है, उसका एक तिहाई भाग जंगल होना चाहिए जलवायु की दृष्टिकोण से। लेकिन, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने अभीतक जो वन नीति का निर्धारण किया है, वह डिफेक्टिव है, जो नीति का निर्धारण किया गया है, वह बिना विचार किये हुए ही किया गया है।

सभापति महोदय, मैं सबसे पहले यह बात कहना चाहता हूं कि हमारे देश में 30 मिलियन ट्राइब्स हैं, इनमें से 16 मिलियन ट्राइब्स जंगल पर निर्भर करते हैं जो जंगल के आस-पास रहते हैं। आज इतनी बड़ी आबादी जंगल के प्रोड्यूस पर निर्भर है। अभी जो सरकार की वन नीति है, उससे जंगल की समस्याओं का समाधान आप नहीं कर सकते हैं, यह बिलकुल बेबुनियाद बात है। यदि आप सही माने में जंगल को बचाना चाहते हैं तो इसके लिये कोई दूसरी व्यवस्था आप करें।

सभापति महोदय, सबसे पहले 1854 में वन नीति का निर्धारण हुआ। उसमें ऐसी बात कही गयी कि चूंकि 75 प्रतिशत ट्राइब्स जंगलों पर निर्भर हैं, इसलिये उनके राइट्स को प्रिजर्व्ड रखा जायगा। इसके बाद 1952 में नयी वन नीति का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया गया। इसमें भी ट्राइब्स के राइट को प्रिजर्व्ड रखने की बात है, लेकिन इस नीति को अमल में नहीं लाया गया, इसको लागू नहीं किया गया। आपने जो अधिकार जंगलों के आस-पास रहनेवालों को दिया था, वह अधिकार आज धीरे-धीरे खत्म होता जा रहा है। पहले वन के आस-पास रहनेवालों को, जंगलों में रहनेवालों को वनों से लकड़ी काटने का अधिकार था, वे लकड़ी काटकर अपनी रोजी-रोटी चलाते थे लेकिन यह अधिकार आज उनसे छीना जा रहा है। आज उनको जंगलों से हल बनाने के लिये भी लकड़ी नहीं मिल रही है, इसलिये वे लोग जबर्दस्ती लकड़ी काटते हैं। अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो उनका काम भी नहीं चलेगा, इसलिये सरकार

इस ओर ध्यान दें और जंगलों में रहनेवालों को जो राइट पहले था, वह उनको दिया जाय।

सभापति महोदय, अब में दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि प्रमंडल स्तर पर या राज्य स्तर पर एक फॉरेस्ट ऐडवाइजरी कमिटी बनायी जाय और उसमें सभी दलों के लोगों को रखा जाय। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि आप सभी दलों को लेकर चलें, सभी का सहयोग लेकर काम चलायें। अगर आप हमलोगों से सहयोग नहीं लेंगे तो आपको को-ऑपरेशन कौन करेगा? इसलिये आप समय रहते ध्यान दें और सही माने में यदि आप जंगल को बचाना चाहते हैं तो तमाम विरोधी दलों को लेकर प्रमंडलीय स्तर पर या राज्य स्तर पर एक कमिटी का गठन करें और सही ढंग से काम करें।

सभापति महोदय, अब मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने तो ठीकेदारी प्रथा समाप्त कर दी लेकिन, कई जिलों में अब भी ठीकेदारी प्रथा धड़ल्ले से चल रही है। मैं हजारीबाग जिले की बात कहना चाहता हूं, वहां पर ठीकेदारों द्वारा जबर्दस्ती जंगलों की कटाई की जा रही है। यह खबर अखबारों में भी छपी थी। पता नहीं आपने उसे देखा या नहीं देखा? आपका ध्यान उस ओर क्यों नहीं गया, यह मुझे पता नहीं। बरही और बरकट्ठा में श्री नईम खां और श्री कासिम खां, जो ठीकेदार हैं, उनके द्वारा लाखों रुपये का जंगल काट लिया गया। इस तरह से जंगल काटने का काम वहां के वन पदाधिकारियों के मेल से किया गया। इस बात को सभी लोग जानते हैं, पता नहीं आप क्यों नहीं इसकी जांच करवा रहे हैं। चतरा सबडिवीजन में भी यही स्थिति है। वहां पर भी 10 से 12 लाख रुपये के जंगल काट लिये गये, जंगल को बर्बाद कर दिया गया, फिर भी सरकार उसकी जांच नहीं करवा रही है। सुना है कि सी० एफ० ने इनक्वायरी की थी, उन्होंने करीब 34,000 रु० का कटा हुआ पेड़ पाया था, फिर भी सरकार उसकी जांच नहीं करवा रही है। इस पर सरकार को दोषी व्यक्तियों पर कारंवाई करनी चाहिए। नवादा के जंगलों की भी यही हालत है, वहां पर भी 12 लाख रुपये जंगल काट लिया गया और इस तरह आज जंगलों की लूट हो रही है। इसकी सुरक्षा के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गयी है।

सरकार की तरफ से स्टेट फॉरेस्ट ट्रेड कारपोरेशन बनाया गया है, क्यों बनाया? आप बड़े-बड़े ठीकेदारों से जंगल को लुटवा रहे हैं। आपने नियम बनाया था कि स्टेट

फॉरेस्ट ट्रेड कारपोरेशन ठीकेदार के हाथ लकड़ी बेचेगा और वह जनता को देगा लेकिन ठीकेदार का पता नहीं चलता है, जब ठीकेदार का पता नहीं है तो लोग घर बनाने के लिये लकड़ी कहां से लायेंगे, उनको लकड़ीकहां से मिलेगी, उनको लकड़ी नहीं मिलेगी, तो इस कॉरपोरेशन को क्यों बनाया ? इससे वहां के रहनेवाले आदिवासियों को बड़ी कठिनाई हो रही है। इसके चलते जंगल को बचाने या उससे सहानुभूति प्राप्त करने में कोई सहायता नहीं मिल रही है। अगर कारपोरेशन को बनाना है तो सही ढंग से इसकी व्यवस्था करनी चाहिए।

सिंहभूम जिले में मानगो रेंज में एफोरस्ट्रेशन डिवीजन में पटमदा में एक गोप नाम के फॉरेस्ट गार्ड हैं। उन्होंने खेरा सर्किल में 31 दिसम्बर, 1981 को एक जंगल बेच दिया। गांववालों ने उसका विरोध किया। गांववालों ने उनको पकड़ा। लेकिन उस गार्ड ने गांववालों पर उल्टे केस कर दिया। मैंने इसके बारे में आपसे कहा था लेकिन आजतक उसपर कोई कारंवाई नहीं की गयी है। श्री जगन्नाथ पांडेय, कंजरवेटर आफ फॉरेस्ट का एक सर्कुलर है जो 31 मई, 1982 को ईशू हुआ है उसके द्वारा उन्होंने रोड ट्रांजिट को बिलकुल खतम कर दिया। अभी अकाल का समय है, लोग अपनी गाछ को बेचकर लकड़ी बेच सकते थे लेकिन उसपर भी पाबंदी कर दी गयी है। यह बहुत अन्याय हुआ है। इसके बाद में साल सीड के बारे में कहना चाहता हूं। साल सीड का आक्शन ठीक से नहीं करने के कारण लाखों रुपये की बर्बादी सरकार की हो गयी है। अतः मंत्रीजी जवाब देने के समय इसका जवाब दें।

(माननीय सदस्य श्री रत्नाकर नायक को आसन से पुकारा गया)

सभापति (श्री ईश्वर सिंह नामधारी)—अब आप अन्तराल के बाद बोलेंगे।

(अन्तराल)।

(उपाध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

श्री फाल्गुनी प्रसाद यादव —अभी सचिवालय के पश्चिमी गेट पर प्रदर्शन कर रहे अराजपत्रित कर्मचारियों पर लाठी चार्ज किया गया है। उनके नेताओं को गिरफ्तार किया गया है जिनके नाम हैं अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के महामंत्री श्री योगेश्वर गोप, श्री अनुग्रह शर्मा, श्री सुखदेव वर्मा, श्री मुंशी प्रसाद सिंह, श्री सुभाषचन्द्र शर्मा तथा टाइगर योगेन्द्र नारायण सिंह। अभी सरकारी कर्मचारियों में काफी तनाव की स्थिति हो गयी है। इसलिये हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि उनके नेताओं को रिहा किया जाय।

श्री कृष्णानन्द झा—अभी बजट पर वाद-विवाद चल रहा है। अभी इस तरह की बात नहीं उठायी जानी चाहिये।

श्री रत्नाकर नायक—उपाध्यक्ष महोदय, वन मंत्री द्वारा जो वन विभाग की मांग प्रस्तुत की गयी है उसके समर्थन में बोलने के लिये में खड़ा हुआ हूं। समर्थन इसलिये करता हूं कि जीवन को रखने के लिये वनों का बहुत महत्व है। वन की बहुत आवश्यकता है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारा सिंहभूम जिला जो उद्योगजनित जिला है वहाँ सरकार के द्वारा जंगल में रहनेवाले लोगों की रोजी-रोटी के लिये कुछ नहीं किया किया गया है जिससे कि उनकी यह समस्या हल हो सके। इसलिये में सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। जंगल देश की बहुत बड़ी संपत्ति है। लेकिन 1978 से बड़े जोर से जंगल की कटाई हो रही है। इसमें ठीकेदार ही दोषी नहीं हैं बल्कि जंगल विभाग के पदाधिकारी भी उतने ही दोषी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जब से वन विकास निगम खोला गया है तब से वन विकास निगम ने जंगल साफ करना शुरू किया है। उसके रिएक्शन में वहां के लोगों ने भी जंगल काटना शुरू किया है। यह बड़ी खुशी की बात है कि अब वन विकास निगम बन्द कर दिया गया है लेकिन दूसरा स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन खोला गया है। फर्क इतना ही है कि अभी भी हमलोगों को देखने में आता है कि जंगल की कटाई उसी तरह से चल रही है। इसलिये मेरा सुझाव है कि सिंहभूमि जिला में कम-से-कम पांच साल तक जंगल की कटाई टोटल बन्द कर देनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, जंगल की ठीकेदारी प्रथा अभी समाप्त कर दी गयी है लेकिन ठीकेदारी प्रथा समाप्त करने के बावजूद रांची में वन विभाग के जो बड़े-बड़े पदाधिकारी हैं, जितने रांची के ठीकेदार हैं उन लोगों के यहां सर्च किये हैं कि उनके यहाँ नयी-नयी लकड़ी कहां से आयी है और कैसे पड़ी हुई है जबकि ठीकेदारी प्रथा समाप्त हो गयी है। प्राइवेट घर में तथा प्राइवेट डिपो में ट्रक-के-ट्रक माल पड़ा हुआ है। कभी जांच करने की कोशिश आपने की है? इसलिये मेरा सुझाव होगा कि सिंहभूमि जिला में पांच साल तक जंगल की टोटल कटाई बन्द कर दी जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, वन विभाग ने माइनर फौरेस्ट प्रोड्यूस जो होता है उसको नेशनलाइज्ड कर दिया है। साल सीड आदि का सरकार ने अच्छा दाम भी तय किया है लेकिन में सरकार से पूछना चाहता हूं कि जो साल सीड का कलेक्शन होता है उसका सही दाम लोगों को मिलता है? में कहता हूं, नहीं मिलता है। इसलिये वन विभाग अपना कलेक्शन करे। माइन्स वाले हर आइटम पर चार आना प्रति किलोग्राम कम दे रहे हैं। इसको देखनेवाला कोई नहीं है। इसलिये में कहना चाहता हूं कि आपको

अपने खरीदने की भी व्यवस्था करनी चाहिए। हाल ही में एक जगह इसी के चलते पब्लिक ने घेराव किया था उनलोगों को जान मारने के लिये। नेशनलाइजेशन के चलते ही छीमडेगा में फायरिंग हुई थी। इसलिये मेरा सुझाव होगा कि स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन को जो माइनर फौरेस्ट प्रोड्यूस खरीदने के लिये दिये हैं उसकी व्यवस्था आप स्वयं कीजिये। ऐसा करने से आपलोगों को इमप्लाइमेन्ट भी दे सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात है कि हमारे यहां से साल और कीमती लकड़ी बाहर जाती है लेकिन हमारे यहां उद्योग नहीं है, मैं पूछता हूं कि फौरेस्ट विभाग क्या करता है? हमारे सिंहभूम में बांस पैदा होता है लेकिन बांस पर आधारित उद्योग जैसे कागज का उद्योग वहां नहीं है, वहां के लोग भूखे मर रहे हैं, उन्हें काम नहीं है। वन विभाग को चाहिये कि उद्योग विभाग से बात करे और कागज उद्योग लगावे। उपाध्यक्ष महोदय, केन्दू पत्ता का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। लेकिन छोटानागपुर टिनेन्सी ऐक्ट के अनुसार वहां के किसान को रायल्टी मिलना चाहिये लेकिन वह नहीं मिलता है। उन किसानों को रजिस्ट्रेशन कराने की व्यवस्था नहीं है। वन विभाग को चाहिये कि किसानों को रजिस्ट्रेशन करवाने की व्यवस्था करावे ताकि उन्हें रायल्टी मिल सके। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तीसरा सुझाव है कि हमारे सिंहभूमि में आसन का पेड़ अधिक-से-अधिक लगाया जाय ताकि तसर की खेती वहां के किसान कर सके। उपाध्यक्ष महोदय, जानवर की मृत्यु होने पर 10 हजार रुपया दिया जाता है लेकिन किसान के खेत की जो बर्बादी होती है उसका मुआवजा नहीं दिया जाता है। इस पर स्पष्ट निर्देश होना चाहिये कि जिन किसान को खेती की उपज की बर्बादी हो उसका मुआवजा मिलेगा। मैं वन मंत्री से जानना चाहता हूं कि आपने वन विकास निगम समाप्त कर दिया लेकिन उसमें जो छोटे कर्मचारी थे, चौकीदार थे उनकी व्यवस्था कहीं नहीं की। वे अनइमप्लवायड हैं। स्टेट ट्रेडिंग जो चालू किया गया तो उसमें उन रिट्रेन्च्ड आदमी को प्राथमिकता मिलनी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि गुदरी उच्च विद्यालय का भवन, झुंगा का होसटेल, गोयलकेरा उच्च विद्यालय, खेल के मैदान और कौमन रूम अधुरे हैं उनका निर्माण कराया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आसन ग्रहण करता हूं।

श्री इन्दर सिंह नामधारी—उपाध्यक्ष महोदय, वन विभाग को कितनी महत्ता दी गयी है वह इससे ज्ञात होता है कि सदन में जो सदस्यों की उपस्थिति है उससे लगता है कि वन विभाग का कोई मां-बाप नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे वन मंत्री श्री मुन्डा जी बैठे हुए हैं, 8 जून, 1980 में मंत्रीमंडल बना और मंत्रीमंडल बनने के

बाद हरएक मंत्री के विभागों का तीन-तीन बार, चार-चार बार परिवर्तन हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे जिले के मंत्री हैं उनको मालूम नहीं है कि किस विभाग का मैं मंत्री हूँ। श्री शंकर प्रताप देव जो राज्य मंत्री हैं वे अपने विभागों के नाम भूल जाते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि मुण्डा जी के विभागों का परिवर्तन नहीं हुआ। दो साल से वे एक ही विभाग में जमे हुए हैं। अब मैं इसका विश्लेषण करूँगा कि इनके विभागों के नहीं बदल जाने का क्या कारण है—ये बहुत सक्षम मंत्री हैं या अक्षम मंत्री है। मुख्य मंत्रीजी किस आधार पर विभाग को बदलते हैं इसको मैं समझता हूँ। आज विभाग का बदलना इतना तेजी से हो रहा है कि ऑफिसर व्यंग करते हैं कि हम से जल्दी तो आपका ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन मुण्डाजी एकदम जमे हुए हैं। जबकि कई मंत्री वर्क्स से नन-वर्क्स में भेज दिए गए। माननीय मुख्य मंत्री इस बात को समझते हैं कौन कितना कमा लिया। उसके बाद उनको वर्क्स से नन वर्क्स में भेज दिया जाता है।

उपाध्यक्ष—यहां कोई वर्क्स और नन वर्क्स नहीं है।

श्री इन्दर सिंह नामधारी—तो फिर क्यों लोग फिल्ड में जाना चाहते हैं। कार्य-पालक अभियन्ता होने के बाद वे फिल्ड में जाना चाहते हैं। उसी तरह से यहां विधि मंत्री बना देना नन वर्क्स है और पी० डब्लू० डी०, ग्रामीण संगठन और सिंचाई विभाग जिसको दे दिया जाय उसको वर्क्स कहते हैं। तो मुख्य मंत्री बड़ी बारीकी से देखते हैं कि कौन कितने दिनों तक नन वर्क्स में रहा और वर्क्स में रहा।

श्री मुंशी लाल राय—मुण्डाजी किसमें हैं वर्क्स में या नन वर्क्स में ?

श्री इन्दर सिंह नामधारी—मुण्डाजी न वर्क्स में है और न नन वर्क्स में दोनों के बीच त्रिशंकु पर लटके हुए हैं।

उपाध्यक्ष—आप मुंडाजी के बारे में बोल रहे हैं कि वन विभाग के बारे में बोल रहे हैं ?

श्री इन्दर सिंह नामधारी—उपाध्यक्ष महोदय, कुर्सी से ही विभाग का पता चलता है। बिहार में परम्परा चली आ रही है कि आदिवासियों को ही मंत्री वन का बनाया जाता है। एक आदिवासी वन मंत्री है तो वन के साथ जरूर उनका लगाव होना चाहिए। मुण्डाजी वन मंत्री हैं उसके पहले भी दो-चार वन मंत्री आदिवासियों को बनाया गया। तो मैं मुण्डाजी से पूछना चाहता हूँ कि जंगल काटना ही उनका काम है, कुआं बनाना, स्कूल बनाना और सड़क बनाना इनका काम नहीं है? उद्योग के जवाब देने में सदन में

इनको मुश्किल हो सकती थी लेकिन जहां तक राजस्व की बात है—जंगल काटकर दस हजार, पन्द्रह हजार, लाख और करोड़ राजस्व जमा करना जंगल काटकर क्या यही वन मंत्री का काम है? उपाध्यक्ष महोदय, हम जिस क्षेत्र से आते हैं वह जंगलों से घिरा है। वहां आदिवासी रहते हैं। जंगलों का राष्ट्रीयकरण किया गया इससे हमको कोई एतराज नहीं है लेकिन आप जंगल काट-काट कर उसे खाली कर रहे हैं क्या यही आपका काम है? यह वन के साथ आपका कैसा व्यवहार हो रहा है। आज वहां के लोगों को काम नहीं मिलता है। सभी घर छोड़ हरियाना, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दूसरे प्रान्त में जा रहे हैं और दूसरे का काम कर रहे हैं। वन मंत्री को आदिवासी क्षेत्र के होने के नाते उस पर ध्यान देना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि जंगल में रहने वाले आदिवासी को काम नहीं दे सकते हैं, क्या उनको यहां मजदूरी करने का अधिकार नहीं है कि वे दूसरे राज्य में जा रहे हैं? आज समूचा इलाका विरान पड़ा हुआ है। वे बेरोजगार हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि मैं किसी का पैरवी नहीं करता लेकिन पहले जो ठीकेदार थे, उनसे शादी-विवाह, मरनी हरनी के समय उधार लेकर, पैंचा लेकर अपना काम चलाता था। लेकिन जब से जंगलों का राष्ट्रीयकरण हुआ कोई किसी को उधार नहीं देता है। वहां लोग भूखों मर रहे हैं। क्या मंत्री का यह काम नहीं है कि उनको काम दिलायें। लेकिन राष्ट्रीयकरण करने के क्या होगा। राष्ट्रीयकरण करने से पहले आपको अपने विभाग की क्षमता को देख लेना चाहिए था। आपकी मशीनरी उतनी अच्छी नहीं है जिसे आप काम ले सकते हैं; सिर्फ जंगलों का काटना ही आपका काम रह गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप से कहना चाहता हूं कि पिछली बार चुनाव हुआ १९ मई को तो उस समय हम भी जंगल में घूम रहे थे और वे भी घूम रहे थे। मैं माननीय मंत्री पर आरोप लगाना चाहता हूं कि उन्होंने पलामू के ठीकेदार को बीड़ी पत्ती का ठीका (लीज) किस रेट में दिया। बाजार में जहां २०० रुपए बोड़ा है वहां ५५ रुपए बोड़ा दिया गया। वह इसलिए दिया गया कि उनसे कहा गया था कि सौ गुंडों के साथ महुआ डाड में जाकर बूथ पर कब्जा करें। मैं इसको सबूत के साथ कह रहा हूं। अगर ये मुझे झूठा साबित कर दें तो मैं सदन की सदस्यता से इस्तीफा कर दूंगा और नहीं तो वे सदन की सदस्यता से इस्तीफा कर दें। मैं उस ठेकेदार का नाम और पता बताना चाहता हूं। माननीय मन्त्री इसका जवाब अपने उत्तर में देंगे। लेकिन अब तो यह परम्परा चल गयी है कि माननीय सदस्य जो बोलते हैं उसका जवाब माननीय मन्त्री नहीं देकर कुछ और ही जवाब देते हैं।

जब कोई माननीय सदस्य माननीय मन्त्री पर कोई आरोप लगाते हैं तो उसका उत्तर मिलना चाहिये, उसका खण्डन करना चाहिये। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसलिये मैं चाहूंगा कि शासन से माननीय मन्त्रियों को यह निदेश दिया जाना चाहिये कि माननीय सदस्य जो बोलें उसको मन्त्री जी नोट करें और उत्तर में उसका जवाब दें। लेकिन यहां आरोप का खण्डन नहीं कर प्रत्यारोप में जवाब दिया जाता है, यह कहकर कि आपने चोरी की है इसलिये हम भी चोरी करेंगे। इसलिये मैं वन मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि सिर्फ जंगल काटना और बेचना ही उनका काम नहीं है। जहां तक राजस्व की बात है—आज भी बाजार में साल सीड की चर्चा हो रही है। आज साल सीड की चर्चा बिहार की हर जनता करती है। इसमें क्या घोटाला हुआ? इसलिये मैं आरोप लगाता हूं और माननीय मन्त्री इसका जवाब अवश्य देंगे। लेकिन वे जवाब तो देंगे नहीं प्रत्यारोप करके निकल जायेंगे। आपको आदिवासियों का विकास करना चाहिये। उस क्षेत्र का विकास करना चाहिये। आपका उसमें पैसा नहीं लगेगा। आपके यहां जितने बड़े-बड़े ठेकेदार हैं—डालमियां, बिड़ला और टीटागढ़ पेपर मिल, उनसे यदि आप कह दें कि यहां कुंआ बनवा दें, स्कूल बनवा दें, सड़क बनवा दें क्योंकि यहां ठेकेदारों का काम होता है, तो वे बिना एतराज का बनवा देगा। लेकिन वन मन्त्री जब वहां जाते होंगे बड़े-बड़े ठेकेदार उनको अच्छा खाना खिलाता होगा, पार्टी देता होगा उसके बाद तो मन्त्री जी इस बात को भूल ही जाते हैं कि आदिवासियों का भी विकास हो। यदि वे सिर्फ मुंह खोल दें तो मैं कहता हूं कि आदिवासी क्षेत्र में, जंगली इलाकों में कुंआ, सड़क और स्कूल बनने में देर नहीं लगेगी। लेकिन उनको कहने का मुंह नहीं है। मन्त्री जी सिर्फ इतना ही कहें कि ठेकेदार क्वाज में जो लिखा है उसको ही यदि वे पूरा करें तो बिना सरकारी साधन के ही वहां का विकास हो जायगा, बिना सरकारी पैसे का वहां का विकास हो जायगा। उपाध्यक्ष महोदय, बांस के लीज आज धड़ल्ले से दिया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मन्त्री जी को पत्र लिखा था। लेकिन मुझे खेद है कि जब सदस्य चिट्ठी लिखते हैं तो मन्त्री उत्तर देने का कष्ट नहीं करते हैं। मैंने मन्त्री जी को लिखा कि बांस का लीज खत्म हो रहा है, जहां बांस का लीज सस्ते दर पर दिया गया है, अगर उसका ओपेन डाक से फिर लीज करेंगे तो उससे बहुत अधिक रुपया सरकार को आयेगा। लेकिन सरकार को रुपया नहीं चाहिए और उसी लीज को फिर से रिनिउल कर दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार की आदत हो

गयी है वह पब्लिक इन्ट्रेस्ट में काम नहीं करती है। आज सुबह आपने देखा। पुल के बारे में माननीय सदस्य श्री मुंशीलाल राय का प्रश्न था तो उसके जवाब में कहा गया कि पुल जो बने हैं उसका टौल टैक्स निश्चित करना है लेकिन टौल टैक्स निश्चित नहीं करके उसके टैक्स को फिर से रिनिउल कर दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, अगर ओपेन डाक होता तो उससे दूना दाम सरकार को आ जाता। लगता है यह सरकार अपने खजाना को बढ़ाना नहीं चाहती है। अगर ओपेन होता तो डालमिया को पैसे देने पड़ते। आज एक टन कागज का ब्लैक नौ हजार रुपये में होता है। कागज खरीदने जाइये तो पता चलेगा। एक टन में पांच हजार ब्लैक कमाता है। उसको मैंने कहा कि उसके लीज को कैंसिल करके ओपेन डाक से लीज कीजिये और देखिये कि कितने पैसे आते। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार के सामने लोक हित में ठोस बात रखना चाहता हूं जिससे प्रदेश का हित होनेवाला है। मैं आपको कहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, जंगल की आम कटाई की चर्चा होती रहती है, मगर जंगल में रहनेवाला एक दतुवन काट ले तो उसको कचहरी का चक्कर लगाना पड़ेगा और हजारों टन कीमती लकड़ियां रोज काटी जा रही हैं और ऐसे लोगों को रोकने के लिये किसी में हिम्मत नहीं होती है। जैसे :—

"मैं आह भरता हूं तो हो जाता हूं बदनाम,
वे कत्ल भी करते हैं तो कोई पूछनेवाला नहीं है।"

जंगल से ट्रक के ट्रक लकड़ी रोज निकाले जायं तो कोई पूछनेवाला तक नहीं है। कोई खरगोश मारे तो जेल जाना पड़ेगा और कोई शिकार खेलता है तो कोई पूछनेवाला तक नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, डालटेनगंज में नेशनल पार्क है। उसमें शिकार खेलना सख्त मना है। लेकिन वहां शिकार खेला गया और हरिन मारा गया और डालटेनगंज हवाई अड्डा पर हवाई जहाज रातभर खड़ा रहा और सुबह हरिण को लादकर पटना लाया गया। उपाध्यक्ष महोदय, लौगबुक देखने से पता चलेगा। जो पाइलट गया था उससे पूछा जाय तो पता चलेगा। नियम है कि हवाई जहाज मन्त्री को लेकर जायेगा और मंत्री जी को छोड़ेगा तथा चला आवेगा। लेकिन आंखें खुली की खुली रह गयी। रात भर हवाई जहाज डालटेनगंज हवाई अड्डा पर खड़ा रहा और सुबह हरिण का मांस लादकर आया पटना। उपाध्यक्ष महोदय, आज जंगल का उपयोग पावरफुल लोगों द्वारा निजी उपयोग के लिये धड़ल्ले से किया जा रहा है। आज बूथ कैप्चरिंग के लिये हजारों रुपये धड़ल्ले से खर्च किये जाते हैं लेकिन जनता के धन को बचाने के लिये आज कुछ नहीं किया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन

को आज यह पूछने का हक है कि यह किसने अन्याय किया, कौन है वह अन्याय करनेवाला, जनता मूक दर्शक नहीं रहेगी बल्कि इसको रोकने के लिये जनता कोशिश करेगी। उपाध्यक्ष महोदय, रामाश्रय बाबू जब इन्डस्ट्री मिनिस्टर थे तब की बात है अब तो आपूर्ति मन्त्री हो गये हैं जो अभी सदन में नहीं हैं।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह चले गये, मैंने उनसे कहा था बार-बार कि यदि आप जंगलों का विकास चाहते हैं, आदिवासियों का विकास करना चाहते हैं तो वन सम्पदा पर आधारित उद्योग चालू कीजिये। उन्होंने मुझे कहा था कि पलामू में कास्टिक सोडा की फैक्ट्री चालू हो गयी लेकिन यह नहीं हुई है।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—मैंने कभी नहीं कहा था कि कारखाना चालू हो गया, यही कहा था कि उस कारखाने में काम लगा हुआ है और आज जाकर देखें कि काम लगा हुआ है।

श्री इन्दर सिंह नामधारी—अब तो आप उद्योग मंत्री से सप्लाई मंत्री हो गये, आप चले गये तो काम लगेगा ही। पलामू के जंगलों में खैर की लकड़ी है। रांची और हजारीबाग में भी यह लकड़ी है। लेकिन होता यह है कि वहां के जंगलों से खैर की लकड़ी कटकर बरेली जाती है जहां इसका कारखाना लगा हुआ है। रांची, हजारीबाग तथा पलामू में क्यों नहीं इसका कारखाना लग सकता है। आज वन मंत्री इसके लिए संकल्प लें और कुछ करें यह नहीं कि हो-हल्ला में कुछ कह दिया और हमलोग सुन नहीं पाये। इस प्रकार से गलत काम हो रहा है वन विभाग में। एक कहावत है जंगल में मंगल तो मुंडा जी आपको यही करना है तो कीजिए। लेकिन जंगलों के विकास के लिये, हरिजनों तथा आदिवासियों के विकास के लिए आप कुछ करें जो वहां रहते हैं। हमारे पंजाबी में मुंडा कहते हैं लड़के को और लड़की को कुड़ी। मैं मुंडा इसलिये कह रहा हूं कि वे इस विभाग के सिरियसनेस को समझें। यह नहीं कि आदिवासी के नाम पर वन मंत्री बन गये। आप कुछ ऐसा काम करें जिससे आप वन विभाग के फूल बन जायं और लोग आपको याद करते रहे। आप कुछ करके दिखावें।

श्री तिलकधारी सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, वन मंत्री ने जो मांग सदन में पेश की है उसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। समर्थन इसलिए करता हूं कि इस डिमांड के द्वारा सरकार ने जितना कार्यक्रम बनाया है वह सर जमीन पर उतरेगा। पहले जंगल में ठीकेदारी प्रथा थी जिसको सरकार ने समाप्त कर दिया है। जंगल के

क्षेत्र में रहने वाले लोग इस बात को जानते हैं कि ठीकेदारी प्रथा के चलते उनके प्लाट ले लिये जाते थे। यही नहीं, उनके नजदीक के प्लाट भी ठीकेदार जबर्दस्ती ले लेते थे, काटकर ले लेते थे। यह बहुत क्रांतिकारी निर्णय सरकार ने लिया है। वन रोपण के कार्यक्रम का भी अच्छा प्रभाव पड़ा है। इसके अन्दर बहुत से पेड़ लगाये गये हैं। इस प्रकार विभाग की ओर से जो काम किए गए हैं वे सर जमीन पर उतरी है। अब में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। जंगल में ठीकेदारी प्रथा को समाप्त करने का जो निर्णय सरकार ने लिया है उससे बहुत फायदा है लेकिन यह सभी जिलों में अभी लागू नहीं किया गया है। हमारे गिरीडीह जिले में वहां के जंगलों में अभी भी ठीकेदारी प्रथा है। में सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इस जिले में भी ठीकेदारी प्रथा को समाप्त कर दिया जाय।

दूसरी बात यह है उपाध्यक्ष महोदय, वन रोपण का कार्य बहुत किया गया है। इस सिलसिले में में कहना चाहूंगा कि इस बात की समीक्षा की जानी चाहिए कि जिन पेड़ों को लगाने में इतने सारे पैसे खर्च हुए तो उनमें कितने अभी कामयाब हैं और कितने बर्बाद हो गये। उपाध्यक्ष महोदय, अभी वन रोपण का कार्य वनों में और सड़कों के किनारे चल रहा है। में मांग करता हूं कि पब्लिक प्लेसेज जैसे स्कूल हैं, कॉलेज हैं, कम्यूनिटी हॉल हैं, पंचायत भवन हैं, जहां पर प्रोटेक्शन हो सकता हो, कम्पाउन्ड वाल हों उन सभी पब्लिक प्लेसेज के अहाते में आप वन रोपण का कार्य कीजिये ताकि उन पेड़ों की सुरक्षा हो सके। उपाध्यक्ष महोदय, अब में वनों के अन्दर सड़क के बारे में चर्चा करना चाहता हूं कि वनों के अन्दर पड़ने वाले मार्गों की मरम्मती होनी चाहिए। नयी सड़कें अब नहीं ली जा रही हैं लेकिन जो पुरानी सड़कें हैं उनके रखरखाव में आवंटन बहुत कम दिया जाता है। में चाहूंगा कि सड़कों की मरम्मती हेतु और अधिक फंड की व्यवस्था की जाय। उपाध्यक्ष महोदय, जब प्रखंड में 20-सूत्री की बैठक होती है, जिला परिषद् की बैठक होती है, पंचायत समिति की बैठक होती है और जब कभी भी इन बैठकों में कोई मंत्री जाते हैं तो गिरीडीह जिला के हरिजन आदिवासी इस बात की मांग किया करते हैं कि जिन जमीनों का डिमारकेशन हो गया है और डिमारकेशन के अन्दर में वर्षों से बने हुए उनके मकान या उनके खेत पड़ गये हैं, उनको सरकार रिलीज करे। यह बात सही है कि डिमारकेशन के अन्दर पड़ने वाली जमीन को रिलीज करने में कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। उन हरिजन आदिवासियों को डिमारकेशन के कार्य का पता नहीं था कि डिमारकेशन के अन्दर क्या हो रहा है। विभाग इस बात को जानता है। इसलिए में कहना चाहूंगा

कि डिमारकेशन के अन्दर जो जमीन चली गयी है, जो गड्ढा है उसको भरकर ही आप उसमें ट्रांसप्लान्टेशन का कार्य कर सकते हैं, ऐसी जमीनों में धान की फसल हो सकती है तो आप इसको रिलीज कर दें। अन्तिम बात उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि 1976 में 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत हमारे गिरीडीह जिला के जमुआ, गाण्डे आदि स्थानों में वन रोपण का कार्य किया गया था और अच्छी-अच्छी लकड़ियों के पेड़ लगाये गये थे लेकिन उन पेड़ों को 1977—80 के बीच काट लिया गया। मैं अन्त में इतना ही कहना चाहता हूं कि उन क्षेत्रों में फिर से ट्रांसप्लान्टेशन का कार्य किया जाय।

श्री मानिक चन्द राय—उपाध्यक्ष महोदय, श्री अकलू राम महतो ने वन विभाग पर जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। बिहार राज्य में जंगलों का क्षेत्रफल 29 लाख 23 हजार हेक्टर है और इन जंगलों में रहने वाले आदिवासियों की संख्या 38 प्रतिशत है। इन्हीं क्षेत्रों में लोहा, कोयला, चूना, अबरख आदि खनिज पदार्थ भी पाये जाते हैं। आज तक सरकार उन तमाम आदिवासियों की तरफ ध्यान नहीं दे पायी है। वन विभाग के लिए 19 करोड़ 92 लाख रुपया का प्रस्ताव सरकार ने लाया है। मैं कहना चाहता हूं कि इतनी बड़ी राशि को जंगल पर खर्च करने से क्या होगा जबकि जंगलों में रहने वाले तमाम आदिवासियों की स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह आप देखेंगे कि आदिवासी लोगों का जंगल में जो पेशा था जैसे जंगल से लाह उत्पादित करना, बीड़ी का पता लगाना, रेशम के कीड़े पालना या उसमें से जो इनका मुख्य पेशा लकड़ी काटना है उसको सरकार अपने हाथ में ले रही है और इस काम को बड़े-बड़े पूंजीपतियों, बड़े-बड़े लोगों, मंत्रियों के सगे सम्बन्धियों को दे रही है। इस तरह आदिवासियों की आजीविका खतरे में पड़ गयी है और आज उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, आदिवासी क्षेत्र में लोहे की खान है, कोयले की खान है, अबरख की खान है उन तमाम खानों में बाहरी व्यक्तियों की नियुक्ति की जा रही है। हमारे यहां के आदिवासी ईंटा भट्ठा तथा खेतों में काम करते हैं। जिनकी जमीन पर लोहे की खान हो, अबरख और कोयले की खान हो और उससे प्रान्त और देश को समृद्धशाली बनाया जा रहा है लेकिन वहां के आदिवासी लोगों की दशा में कोई सुधार नहीं किया जा रहा है। उनके जीने का कोई साधन नहीं है और जो साधन है उसको भी सरकार अपने हाथ में ले रही है। सरकार अरबों रुपया की योजना बनाकर खर्च करने जा रही है वह सिर्फ कागज पर दिखाने के लिये ही है। मैं वन मंत्री

का ध्यान आपके माध्यम से पटना के संजय गांधी उद्यान की तरफ आकृष्ट करते हुये वन मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि उस उद्यान में कितने जंगली जानवर हनुमान, चीता, बाघ, भालू आदि वे खाने-खाने बिना मर रहे हैं। उन तमाम जानवरों पर जो खर्च किया जाता है वह वन विभाग के अफसरों के जेब में चला जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार बिहार के तमाम सड़कों के किनारे पेड़ लगाने की योजना शुरू की है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार बतायेंगी कि अभीतक वन रोपण कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे बिहार में कितने पेड़ लगाये जा चुके हैं और उस पर कितना खर्च अभी तक हुआ है ? मैं मानता हूं कि सड़कों के किनारे पेड़ लगाने की योजना है और अच्छी योजना है लेकिन यह योजना सिर्फ कागजी योजना है इस पर कुछ खर्च नहीं किया जाता है। इसका सारा पैसा मंत्री, ठीकेदार और इनके विभागीय अफसरों के जेब में जाता है। किसी सड़क के किनारे पेड़ नहीं दिखायी पड़ता है। सालों साल वही पेड़ लगता है लेकिन कोई पेड़ हरा भरा नहीं है सब सूखे हुये दिखायी पड़ते हैं। उसकी सुरक्षा के लिये बांस का ढठर लगा दिया जाता है। उसकी सुरक्षा नहीं हो पाती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि हमारे प्रखंड भगवानपुर हाट के बी० डी० ओ० ने कोई पचास हजार रुपये की योजना पेड़ लगाने के संबंध में बनाकर कच्ची ईंट की दीवाल खड़ा किया है लेकिन अबतक उसमें पेड़ नहीं लगाया गया है। इसी तरह से हर जिले एवं प्रखंड में एक ढकोसला बनाकर पेड़ लगाने के नाम पर रुपये की लूट मची हुयी है और योजना मात्र कागज पर है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार यदि पेड़ों की सुरक्षा करना चाहती है और आदिवासी की सुरक्षा तथा जंगल की सुरक्षा करना चाहती है तो आदिवासी का जो पेशा है उसको सरकार उनके हाथ में लौटा दे ताकि वे अपना जीवन निर्वाह किसी तरह कर सकें। उनका पेशा जंगली जानवर पालना, जंगल से लकड़ी काटना, लाह उत्पादित करना, बीड़ी के पत्ते उगाना आदि है। उपाध्यक्ष महोदय, आज सरकार किसी आदिवासी से जाकर यह पूछे कि यह सरकार अच्छी है कि नहीं तो उसे पता चलेगा कि वे क्या कहते हैं। एक-एक आदिवासी कह रहा है कि यह सरकार अच्छी नहीं है इससे अच्छी अंग्रेजी सरकार थी। वह अंग्रेज सरकार का समर्थन करेगा। इसी सरकार के चलते हमारे सारे आदिवासी आज इसाई धर्म को अपनाते जा रहे हैं। इसके लिये इस सरकार को शर्म और लाज होनी चाहिये। आप जो खर्च करने जा रहे हैं वह सिर्फ दिखावटी है कागज पर रहनेवाला है। किसी ने ठीक ही कहा है कि गरीबी के कब्र पर उगी हुयी घास बड़ी जहरीली होती है। यही हालत आज आदिवासी लोगों

के साथ हो रही है। हरिजन आदिवासी और अल्पसंख्यकों के नाम पर वोट लेकर आपने सरकार बनाया है लेकिन उसने गरीब हरिजन और मुसलमानों की रक्षा आज नहीं हो रही है। आज सारा जंगल काटा जा रहा है। वन रोपण के नाम पर करोड़ों रुपया हड़प हो रहा है क्या मंत्री बता सकते हैं कि कहां-कहां कितना जंगल लगाया गया कहां-कहां वन रोपण कार्य हुआ और कितना खर्च किया गया है? आज हजारों-हजार की संख्या में लगे हुये पेड़ काटे जा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आदिवासी इलाके में जो रेंज पदाधिकारी हैं वे जबरदस्ती आदिवासियों से टैक्स वसूल रहे हैं और उसका पैसा सरकारी कोष में न जमाकर अपने पौकेट में रख रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं कि सरकार मेरी बातों पर ध्यान दे और अगर वह चाहती है कि आदिवासियों की रक्षा हो, यदि सरकार चाहती है कि हमारे प्रान्त के सारे सड़कों पर वन रोपण कार्य सही ढंग से हो और संजय गांधी द्वारा चलाया गया पांच सूत्री कार्यक्रम सफल हो तो वह इन बातों पर ध्यान दे। ऐसा नहीं होगा तो संजय गांधी के पांच सूत्री कार्यक्रम से कुछ नहीं होनेवाला है। इन्हीं शब्दों के साथ में श्री अकलू राम महतो द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री देवेन्द्र नाथ चम्पिया—उपाध्यक्ष महोदय, वन मंत्री द्वारा प्रस्तुत मांग जो सदन में पेश है उसके समर्थन में बोलने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, पक्ष में इसलिये बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं क्योंकि डॉ० जगन्नाथ मिश्र, मुख्य मंत्री के नेतृत्व में बिहार का जो शासन है और उनकी जो नीति है खासकर जो वन नीति है और उसमें जो अच्छे कदम उठाये गये हैं जैसे ठीकेदारी प्रथा का उन्मूलन, सोशल फौरेस्ट्री, फौरेस्ट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन की स्थापना वगैरह, वगैरह यह सारे काम वन नीति के अंतर्गत अच्छे कदम हैं, प्रगतिशील कदम हैं। इन सारे कदमों में फौरेस्ट की नीति में कुछ त्रुटियां रह गयी हैं जिस ओर में सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय वन नीति है कि समूची जमीन का 33 प्रतिशत जंगल होना चाहिये। इस नीति के तहत आप देखेंगे कि सिर्फ छोटानागपुर में राष्ट्रीय नीति जो 33 प्रतिशत समूची जमीन की रखी गयी है उससे कहीं ज्यादा अर्थात् 40 प्रतिशत समूची छोटानागपुर की जमीन पर जंगल लगाया गया है। यह दुःख की बात है। मेरे कहने का मतलब है कि छोटानागपुर में 40 प्रतिशत जंगल है तो बिहार के दूसरे हिस्सों में भी 40 प्रतिशत ही जंगल होना चाहिये। जब राष्ट्रीय नीति 33 प्रतिशत की है तो हमारे छोटानागपुर में राष्ट्रीय नीति से 7 प्रतिशत ज्यादा जंगल है, और किसी जिले में जंगल का प्रतिशत बिलकुल नील है।

जबकि एक ओर किसी-किसी जिले में जंगलों का प्रतिशत तीन है और वहां की जमीन हरित क्रांति तथा खेती के लिए पड़ी हुई है और दूसरी ओर छोटानागपुर में 40 प्रतिशत जमीन में जंगल है और वन सम्पदा के नाम पर छोटानागपुर के आदिवासी गरीबी रेखा से नीचे हैं। अब जंगलों से वहां के लोगों को एक धूर भी जमीन मिलने वाली नहीं है। कुछ देर पहले माननीय सदस्य श्री इन्दर सिंह नामधारी जी कह रहे थे कि वर्त्तमान वन मंत्री के रीजीम में जंगलों की कटाई अवैध रूप से अबाध ढंग से अंधाधुंध चल रही है। लेकिन उन्हें मालूम होना चाहिए कि जंगल का अवैध रूप से कटाई आज से दो ढाई साल पहले जब राज्य में जनता पार्टी की सरकार थी और श्री ललित उरांव वन मंत्री थे उन्हीं के समय से शुरू हुआ था जो आजतक चली आ रही है। ललित उरांव के समय में ही छोटानागपुर और सिंहभूम के जंगलों की कटाई हुई। विरोधी पक्ष के लोग कांग्रेस सरकार पर यह इल्जाम गलत लगा रहे हैं। आदिवासियों पर गोली किसने चलाई सिंहभूम के इचागढ़ में जंगल काटने के लिए। अवैध ढंग से जंगल काटने की परिपाटी जनता पार्टी की सरकार ने चलाई है जो आज सब के लिए सिरदर्द हो गया है कि जंगलों की अवैध कटाई कैसे बन्द किया जाय। अब मैं सरकार को बताना चाहता हूँ कि यह जंगल अवैध ढंग से काटने की प्रवृत्ति आदिवासियों में कैसे हुई जबकि आदिवासी लोग जंगलों को देवता की तरह पूजते हैं। इसके पीछे कुछ कारण है। आदिवासियों को तो आपने विस्थापित कर दिया है अनेकानेक बड़ी-बड़ी योजनायें तथा कल कारखाने खड़ा करके और उनके विस्थापन के बाद उनकी रोजी-रोटी का कुछ भी प्रबन्ध नहीं किया है। सरकार आदिवासियों को विस्थापित करके भूखों मरने के लिए मजबूर कर दिया है इसीसे लाचार होकर आदिवासी जंगलों की कटाई शुरू कर दिया है। आदिवासी जंगल से लकड़ी काटकर बाहर बाजार में ले जाकर बेचते हैं और अपना पेट पालते हैं। आदिवासी मजबूरी में आकर जंगल की कटाई कर रहे हैं। सरकारी अधिकारी और सरकार कहती है कि जंगल काटना अवैध और गैरकानूनी है लेकिन मैं पूछता हूँ कि जिनके साथ कोई मजबूरी नहीं है वे क्यों लकड़ी काटते अथवा कटवाते हैं ऐसे लोग किस कैटेगोरी में आते हैं चाहे ये जंगल कटवाने वाले सरकार के मंत्री हों, आई० ए० एस० अफसर हों या जंगल के विभाग के अधिकारी हों। सरकार किसी भी विभाग के काम के लिए जो एलौटमेंट भेजती है उसका 70 प्रतिशत तो सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और मंत्रियों के जेब में चला जाता है और तीस प्रतिशत से कुछ काम होता है यह बहुत बड़ा जुर्म है।

30 प्रतिशत केवल स्कीम में खर्च होता है और 70 प्रतिशत खा जाते हैं ये लोग—क्या यह जुर्म नहीं है ? और मजबूरी में हरिजन, आदिवासी पेट पालने के लिए जंगल में जाते हैं लकड़ी काटने के लिए—यह बहुत बड़ा जुर्म हो गया ? बड़े-बड़े अधिकारियों को तो हैंडसम पे स्केल है, उनके साथ कौन मजबूरी है कि जंगल विभाग के अधिकारी बड़े-बड़े कांट्रेक्टर से मिल कर जंगल की लकड़ी चोरी करते हैं, पैसा बनाते हैं—इनके साथ कौन-सी मजबूरी है ? क्या यह गैर-कानूनी नहीं है ? और मजबूरी में हरिजन, आदिवासी अपना पेट पालने के लिए जंगल जाते हैं लकड़ी काटने तो यह गैर-कानूनी हो गया ? तो इस चीज को समझाना है। उपाध्यक्ष महोदय, वन विभाग के अधिकारी सिंहभूम के आदिवासियों के बीच भाषण करते हैं कि यह जंगल आपके पूर्वजों ने आपके लिए सुरक्षित रखा है, यह आपकी सम्पत्ति है, यह आपकी बपौती है, राष्ट्र की सम्पत्ति है और आपलोग जब जंगल काटते हैं तो आपके पूर्वजों के आत्मा को काफी कष्ट पहुंचता है। जंगल आदिवासी की सम्पत्ति है, लेकिन जिस जंगल को आदिवासी के पूर्वजों ने सुरक्षित रखा है, उसका कितना हिस्सा आपने आदिवासी को दिया है ? कुछ नहीं दिया है। बड़े-बड़े कांट्रेक्टर को ये गुजरात से लाते हैं और जगहों से लाकर ये पदाधिकारी जंगल को काट रहे हैं और पैसा बना रहे हैं। वन श्रमिक सहयोग समिति आपने बना दिया, पहले आप इनको 20 हजार रुपया जंगल देते थे, वह भी झाड़ वाला जंगल देते थे, अब इसको 30 हजार कर दिया गया और, इससे भी बढ़ा कर 50 हजार कर दिया। सरकार का जो आंकड़ा है कि वन श्रमिक सहयोग समिति, छोटानागपुर को 92 जंगल बंदोबस्त किए गए, सरकार का जो यह आंकड़ा है, यह सरासर गलत है। वन श्रमिक सहयोग समिति के साथ किसी तरह की बंदोबस्ती नहीं की गई। उपाध्यक्ष महोदय, ठीका प्रथा को खत्म कर दिया गया और फॉरेस्ट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन अब लकड़ी जंगल से उठाकर पब्लिक यूज के लिए लाते हैं, लेकिन मेरी निश्चित जानकारी है कि ठीकेदारी प्रथा खत्म होने के बावजूद भी ठीकेदारी प्रथा चालू है। जंगल दो तरह का होता है, एक रिजर्व फॉरेस्ट और जंगल विभाग का फॉरेस्ट। हमारे मझगांव निर्वाचन क्षेत्र के रत्नासाई गांव में मुंडा का एरिया आता है, रेवेन्यू फॉरेस्ट पर मुंडा लोगों का अधिकार है, लेकिन वन विभाग इसको इनक्रोच किए हुए है। मैंने इस सम्बन्ध में वन मंत्री और डी० सी० एफ० को लिखा, लेकिन अभी तक जमीन रिलिज नहीं हो सकी है। समाप्त।

(इस अवसर पर माननीय सदस्य श्री टीकाराम मांझी ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)

श्री देवेन्द्र मांझी—सभापति महोदय, कटौती का प्रस्ताव जो पेश किया गया है, में उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सभापति महोदय, सिंहभूम में बिहड़ जंगल है, लेकिन उस जंगल को काटा जा रहा है, क्यों काटा जा रहा है, यह चिन्ता का विषय है, आज देखा जाय चाईबासा के उत्तरी प्रमण्डल में बड़े-बड़े कारखाने, बड़ी-बड़ी योजनायें और आदित्यपुर इन्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट के नाम पर जंगल को काटा गया, उस जंगल में एक कबिला रहता था जो जंगल से बांस काट कर छोटी-छोटी टोकरी बनाकर समाज की आवश्यकता की पूर्ति करता था, लेकिन जंगल कट जाने से जंगल के बांस का उत्पादन बन्द हो गया जिसके कारण वे लोग भूखे मर रहे हैं, उस जंगल के बांस को बंगाल पेपर्स मिल्स के साथ लिज कर दिया गया, जिसके चलते कबिला के लोग बेकार हो गया है।

बेकार बना दिया गया है, दर दर की ठोकर खाने के लिये पंजाब और हरियाना जा रहे है। सरकार आदिवासियों के विकास की बात करती है और बांस के उत्पादन का विनाश कर रही है। एक बांस का भी उत्पादन नहीं हो रहा है। दूसरी तरह जितने भी वृक्ष है उसे काट कर उजाड़ दिया गया है। वन विभाग का यह कानून है कि फलदार फल-वृक्ष नहीं काटा जायगा लेकिन चाईबासा के उत्तरी प्रमंडल सुरसी में एक भी फलदार वृक्ष नहीं है। आदिवासियों का जंगल से घनिष्ठ संबंध है। लेकिन सरकार उन जंगलों का विकास कर रही है। सरकार को इसकी कोई चिन्ता नहीं है कि विकास कैसे होगा। सरकार की यह दूषित नीति है। सरकार की नीति हिंसा की रही है। कभी भी हरिजनों के साथ आदिवासियों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया है। फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट के लोग कहते हैं कि दिन-रात सिंहभूम जिला में आदिवासी लोग जंगल काटते है। लेकिन मैं वन विभाग से जानना चाहता हूं कि जैसा श्री चम्पिया ने कहा कि ४० प्रतिशत जंगल छोटानागपुर में है और वन नीति के अनुसार ३५ प्रतिशत होना चाहिए बाकी ६० प्रतिशत कहां जंगल पैदा होगा। सारी की सारी जमीन आदिवासियों को है। उक्त मुन्डारी लोगों की जमीन किसी को नहीं दी जा सकती है, ऐसा सरकार के साथ समझौता है, ऐसा कानून है, देश पर जब विपत्ति आती है तो वे लोग सरकार को चन्दा देते हैं, सहयोग देते हैं। 35 प्रतिशत की जगह 40 प्रतिशत जंगल मुन्डारियों की जमीन छीन करके बनाया है। वे लोग पूर्वजों की जमीन वापस लेने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन लोग यह समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि वहां पर संघर्ष क्यों हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री महेश राम—सभापति महोदय, माननीय वन मन्त्री ने जो मांग पेश की है मैं उसका समर्थन कर रहा हूँ। वन राष्ट्रीय सम्पत्ति है, इसे बचाना हम सब लोगों का कर्त्तव्य है। राष्ट्रीय सम्पत्ति होने के नाते, हम सब लोगों की जिम्मेवारी हो जाती है कि इसे हर तरह से बचाने की कोशिश की जाय। प्रधान मन्त्री के 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत पूरे बिहार में वृक्ष रोपन और राज्य को हरा-भरा बनाने के लिए हमारी सरकार काफी जागरूक है और काफी जोर-शोर से वन-रोपण का कार्य कराया जा रहा है। हरिजन और आदिवासियों की निजी जमीन में भी फलदार वृक्ष लगाए जा रहे हैं। यह हमारी सरकार की उपलब्धि है। हमारी सरकार की ओर से बहुत-सी कल्याणकारी योजनाएं भी चलाई जा रही है। जैसे आदिवासियों को और हरिजनों को पीने के पानी के लिए कुआं बनाया जा रहा है। कुछ वन क्षेत्रों में विद्यालय भी बनाए जा रहे हैं। ये सारी चीजें हमारी सरकार कर रही है। 1982-83 में 20.94 करोड़ रु० का राजस्व प्राप्त होने का लक्ष्य है। मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार को जो इतनी बड़ी रकम प्राप्त होगी इसका जिलेवार आंकड़ा देना चाहिए था कि जिस-जिस जिला में जितना-जितना राजस्व प्राप्त हुआ है और इस राजस्व से उस जिले के लिए कोई विकास की योजना बनायगी, यह वन विभाग को चाहिए था, कुछ कल्याणकारी योजना बनाना चाहिए था। जितना राजस्व प्राप्त होता है उसमें से कुछ प्रतिशत जंगल के लोगों के कल्याण के लिए खर्च करते, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो राजस्व प्राप्त होता है वन विभाग के लोग वन क्षेत्र में रहनेवाले लोग के लिये किसी तरह का कोई कल्याणकारी योजना नहीं बनाते हैं, जिससे वहां के लोगों का कल्याण नहीं हो पाता है। इनको एक योजना बनानी चाहिए पहाड़ से जो पानी आता है उसको घेर कर उसे रखा जाय ताकि उससे सिंचाई का काम हो, सारा पानी वेस्ट चला जाता है। अब मैं छोटानागपुर के किसानों के बारे में कहना चाहता हूं उन्हे खेती के लिये लकड़ी चाहिये जिससे कि वे हल, घोरना आदि के काम में लावें लेकिन वन विभाग की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। जब कि रैयती एक्ट के पार्ट-२ में अधिकार है, ये सब चीजें उन्हें मिलनी चाहियें। अगर यह चीजें नहीं मिलेगी तो वहां के किसान खेती करने में असमर्थ रहेंगे मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि उन लोगों के लिये बांस, लकड़ी, घोरान, खाट मिलना चाहिये। फौरेस्ट विभाग की बहुत सी सड़कें है, खास कर हुस्टरगंज, प्रतापपुर, चतरा और हजारीबाग जिला में फौरेस्ट से जब लकड़ी निकाली जाती है तब वे सड़क बनती है। नहीं तो उसके बाद इतनी खराब हो जाती है कि वहां के रहनेवाले लोग उसपर आवागमन नहीं कर सकते है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जो भी फौरेस्ट रोड है,

पेड़ पेंथियां हैं उसे बनाया जाय। इसमें एक वन-उजाड़न विभाग है और इसके माध्यम से काफी वन का उजाड़न होता है। काफी मात्रा में लकड़ी की चोरी होती है इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये और इसकी जांच-पड़ताल होनी चाहिये। स्टाक में कितनी लकड़ी थी, कितनी बिक्री की गई, कितनी बची हुई है और उससे कितना राजस्व प्राप्त हुआ है इसपर ध्यान देना चाहिए। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान चतरा की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि वहां काफी जंगल है, वहां पर काफी बांस है लेकिन बांस पर आधारित कोई भी उद्योग नहीं है जिसके कारण मजदूरों को काफी कठिनाई होती है। सरकार को चाहिए कि वहाँ पर कागज फैक्टरी खोले, वन-सम्पदा पर आधारित उद्योग खोले ताकि वहां के मजदूरों को बराबर काम मिल सके। हजारीबाग में एक डी०एफ०ओ० श्री वर्मा थे उन्होंने कैसे रैयती जमीन जबरदस्ती हड़प ली उसका मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। गिरजा घर के बगल में, गिरजा की जमीन थी। श्री वर्मा डी०एफ०ओ० उनका भी घर था, उसको घेरकर उन्होंने वन रोपण कर दिया। घेर लिया और वन रोपण का काम किया। बहुत-सी रैयती जमीन वन सीमा के अन्दर ले ली गई है और उनलोगों पर केस और मुकदमा भी चल रहा है। इसको सरकार देखे और उचित कार्रवाई करे। जमीन का मुआवजा अवश्य मिल जाना चाहिए।

सभापति महोदय, चतरा में जो फौरेस्ट का आफिस है, वह भी रैयती जमीन में ही है। उसका भी मुआवजा अभी तक नहीं मिला है।

सभापति (श्री देवेन्द्र मांझी)—आप बैठ जायं।

श्री महेश राम—एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे चतरा में जो डी०एफ०ओ० श्री गोविन्द नारायण सिंह है, वह जंगल को लूटकर समाप्त कर दिया है।

श्री मंगल सिंह लमाये—सभापति महोदय, वन मन्त्री, यहाँ पर जो भी मांग करते हैं, वह पारित हो जाता है लेकिन वह पैसा दूसरे मार्च महीने में आयगा और बेकार हो जायगा। एक हफ्ता में सरेन्डर हो जाएगा। इसलिए मन्त्री महोदय को वन विकास के नाम पर पैसा मांगना उचित नहीं है। जो भी पैसा दिया जाता है, वह वन के विकास में काम नहीं आता है।

सभापति महोदय, हमलोग जानते हैं कि हिन्दुस्तान के लिए ही नहीं बल्कि सारे संसार के लिए आवश्यक हो गया है, इसके बिना आदमी जिन्दा नहीं रह सकता है और खासकर यदि वहाँ पर आदिवासी का समूह है तब तो जंगल और भी जरूरी हो जाता है।

अभी वर्तमान समय में बिहार सरकार बराबर आदिवासियों पर वन रक्षा के नाम पर गोलीकांड कर रही है। हमारे सिंहभूम जिला में जहां से हम आते हैं वहां पर वन रक्षा के नाम पर ला एण्ड आर्डर के नाम पर सरकार हजारों रुपए बर्बाद कर रही है। इससे जंगल का कोई फायदा नहीं हो रहा है। जंगल विभाग के आदमी बराबर आदिवासियों को धमकी देता रहता है। आप सभी जानते हैं कि गुवा में भी गोलीकांड हुआ था। इस तरह दूसरी-दूसरी जगहों में भी गोलीकांड जंगल एरिया में होता रहता है। अगर जंगल की रक्षा करना है तो आदिवासी ही कर सकता है, जो जंगल में रहता है। लेकिन जंगल विभाग के आदमी और आफिसर आदिवासियों का नाश करने पर तुले हुए हैं। अंग्रेजी राज्य के समय और आजादी के पहले क्या कांग्रेस (आई०) की ही सरकार जंगल की रक्षा करती थी, नहीं, आदिवासी ही उसकी रक्षा करते थे। जब से कांग्रेस की सरकार आयी है तब से जंगल बर्बाद हो रहा है। अभी बिहार सरकार जहां ठीकेदारी प्रथा को समाप्त कर दिया है, वही पर स्टेट ट्रेनिंग कारपोरेशन के नाम पर ठीकेदारी चल रहा है।

यहां पर जो रेट मिल रहा है, वह बहुत कम मिल रहा है। बिहार के बगल में उड़ीसा है, वहां पर शाल, महुआ, कुसुम, डोरी आदि का रेट ज्यादा मिलता है। उड़ीसा की तुलना में बिहार में इन चीजों का मूल्य बहुत कम दिया जाता है। इसके कारण यहां के आदिवासियों को इन चीजों का जितना मूल्य मिलना चाहिए था, वह नहीं मिलता है, इसलिए सरकार इस ओर ध्यान दे ताकि यहां के आदिवासियों को उचित मूल्य मिल सके। बिहार सरकार द्वारा बिहार स्टेट फौरेस्ट ट्रेड कॉरपोरेशन बनाया गया है, इसके द्वारा भी जो मूल्य दिया जाता है, वह भी बहुत कम दिया जाता है। पहले जो मूल्य दिया जाता था, वह आज नहीं मिल रहा है। बिहार फौरेस्ट लेबर को-ऑपरेटिव सोसाइटी बिहार सरकार द्वारा बनाया गया है। आपने ठीकेदारी प्रथा समाप्त कर दी, यह अच्छी बात है लेकिन इस सोसाइटी को काम देना चाहिए था, इस सोसाइटी को काम देना बहुत जरूरी है लेकिन इसको कोई काम नहीं दिया गया है।

सिंहभूम जिला में टोन्टो प्रखंड में श्री रामाश्रय बाबू गए थे, उन्होंने कहा था कि फौरेस्ट एरिया में सड़क बननी चाहिए। सड़क के लिए बार-बार कहा गया लेकिन एक भी सड़क नहीं बन पायी है। टोन्टो से लेकर बमबरसाई जेरिया होते हुए ओटगढ़ तक सड़क बनाने की बात थी, दूसरा बड़ा झींकपानी से लेकर कोचड़ा-मोगरा होते हुए जगन्नाथपुर तक सड़क बनाने की बात थी और तीसरा नोआमुंडो से लेकर सियालगोढ़ा होते हुए जैतगढ़ तक सड़क बनाने की बात थी लेकिन अभीतक ये सड़कें नहीं बन पायी

हैं। जब-जब मिनिस्टर साहब जाते हैं तो आश्वासन दिया जाता है लेकिन आश्वासन मिलने के बाद भी काम नहीं होता है। इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि इस ओर ध्यान दिया जाय।

गुवा में फायरिंग हुआ तो यहाँ से बड़े-बड़े पदाधिकारी वहाँ पर गए थे। कहा गया था कि वहाँ पर मिनी आई० टी० आई० खुलेगा, मिनी आई० टी० आई० खुला भी 95 विद्यार्थियों का उसमें एडमिशन भी हुआ, उनलोगों ने प्रशिक्षण भी समाप्त किया लेकिन आजतक उनको नौकरी नहीं मिली है।

सभापति महोदय, अब मैं यह कहना चाहता हूँ कि दिनांक 16 मई, 1982 को सिंहभूम जिला के टोन्टो, आवेड़ा, बगानवेड़ा और जातेवेड़ा में 95 आदमियों का परिवार लूट लिया गया। उनलोगों के घर से 350 क्वींटल धान, 5 क्वींटल चावल तथा घर में जो भी सामान थे, वह सब लूट लिया गया। वहाँ के लोगों ने मंत्री महोदय को भी चिट्ठी दी है, हमको भी चिट्ठी मिली है लेकिन सरकार की तरफ से आजतक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। इस प्रकार हमारे क्षेत्र के आसपास वन विभाग की ओर से हंगामा फैलाया जा रहा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वन विभाग इस ओर देखे और उचित कार्रवाई करे।

श्री राजेन्द्र नाथ दां—सभापति महोदय, वन मंत्री द्वारा वन विभाग पर जो मांग प्रस्तुत की गयी है उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। वन विभाग, श्री टी० मुचीराय मुंडा के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रहा है।

आपने निर्णय लिया है कि 5 करोड़ वृक्ष लगायेंगे और जंगल बचायेंगे, यह प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी के कार्यक्रम में एक कदम है। मेरा कहना है कि जंगल लगाने से ही नहीं होगा, जंगल को बचाना भी होगा। इस पर मंत्री महोदय को ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि एक तरफ तो आप जंगल लगा रहे हैं और दूसरी तरफ जंगल उजाड़ा जा रहा है, जंगल खत्म होता जा रहा है। सवाल है कि जंगल कैसे बचेगा ? जंगल को बचाने के लिए वहाँ के लोगों को नौकरी दीजिए, कोई काम दीजिए तभी जंगल बचेगा।

सबसे बड़ी बात है कि स्थानीय लोगों को जलावन के लिए लकड़ी चाहिए, घर छाने के लिए बाँस, बल्ला चाहिए, खेती करने के लिए लाठा आदि चाहिए, वह उन्हें नहीं मिलेगा तो वे चोरी से काटेंगे ही इसलिए आप उनकी आवश्यकता की लकड़ी जैसे जलावन की लकड़ी, घर छाने के लिए बाँस, बल्ला और खेती के लिए लाठा बनाने की

लकड़ी की जरूरत है उसे आप आधे दाम पर सबसिडाइज्ड रेट पर दीजिए तो वे जबर्दस्ती जंगल में लकड़ी काटने नहीं जायेंगे ।

आपने वन विभाग में ठीकेदारी प्रथा खत्म कर दिया यह भी बहुत अच्छा काम किया है लेकिन ठीकेदार के अन्दर जो मुन्शी आदि का काम करते थे उनको भी नौकरी देना पड़ेगा। फिर गरीब ठीकेदार को भी नौकरी देना पड़ेगा और स्थानीय लोगों को, आदिवासियों को, हरिजनों को नौकरी देना पड़ेगा ।

बहुत सी ऐसी जमीन है जो जंगल में दिखायी गयी है पर वह जंगल की जमीन नहीं है, वह रैयती जमीन है और उसमें खेती हो रही है तो मेरा निवेदन होगा कि वैसी जमीन को खेती करने के लिए छोड़ दीजिए क्योंकि ऐसा नहीं होने के कारण बराबर फौरेस्ट गार्ड द्वारा उन किसानों पर मुकदमा किया जाता है ।

वन तो आप कहीं लगा सकते हैं लेकिन खनिज पदार्थ हर जगह नहीं मिल सकता है इसलिए मेरा निवेदन है कि जहाँ माइनिंग है वहाँ आप फौरेस्ट ऐक्ट को लागू न कीजिए ।

हमलोगों ने माँग की थी कि फौरेस्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन के प्रबन्ध निदेशक के पद चीफ कन्जरवेटर ऑफ फौरेस्ट के स्तर का बनाया जाय पर वन विभाग के आयुक्त ने इसे नहीं माना । ऐसा होना बहुत जरूरी है ।

श्री इन्दर सिंह नामधारी ने कहा कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान में किसी मंत्री ने हरीन मार दिया लेकिन वहाँ के जो निदेशक हैं वे ऐसे आदमी हैं जो गलत काम को सहन नहीं कर सकते और न गलत काम कर ही सकते हैं इसलिए मैं उनको जानकारी देना चाहता हूँ कि यह गलत बात है । वे गलत काम करनेवाले नहीं हैं ।

कोडरमा में एक मैच स्प्लीन्ट फैक्ट्री है जो साल में मात्र दो महीना ही चलती है । मेरा अनुरोध होगा कि ऐसी व्यवस्था करें कि वहाँ काफी माचिस बने तो लोगों को सालोभर काम मिले ।

हजारीबाग में एक पेपर मिल की स्थापना करें । हजारीबाग शहर के आसपास हरली गाँव में 250 एकड़ जमीन पड़ी हुई है होर्टीकल्चर के नाम पर, उसको सरकार लेकर, फेन्सिंग कराकर वहाँ जंगल लगावें । मेरू में बी० एस० एफ० लोग जंगल लिए हुए हैं जिसे निजी उपयोग में लाते हैं, इसे जनता के लिए सुलभ कराया जाय ।

श्री तुलसी रजक—सभापति महोदय, वन विभाग की माँग पर जो कटौती का प्रस्ताव पेश है उसका मैं समर्थन करता हूँ । आज वनों की एक गम्भीर समस्या है । वन और वनवासी इन दोनों का गहरा सम्बन्ध है । वनवासी लोग जंगलों में रहते हैं

इस कारण से वन के फलों और पत्तियों तथा और अनेक वस्तुओं से उनका गहरा सम्बन्ध है। इससे उनकी रोजी रोटी चलती है। लेकिन आज वनों की हालत क्या है, आज वनों को उजाड़ा जा रहा है। सभापति महोदय, सरकार वन विभाग पर काफी पैसे खर्च करती है लेकिन वह पैसा इस तरह से नाजायज ढंग से खर्च करती है, चाहे प्लान्टेशन के नाम पर हो या वन प्राणी के नाम पर हो, आपको मालूम होगा कि वन प्राणी के नाम पर लाखों रुपये खर्च किये जाते हैं प्रतिवर्ष, लेकिन आज कहीं न तो बाघ है और न चीता है। उसी तरह से वन में रहने वाले आदिवासी के नाम पर ऐसे खर्च होते हैं लेकिन आज वे उपेक्षित हैं। हमारे छोटानागपुर में अनेक जंगल हैं, पहाड़ हैं मगर उन पहाड़ों पर पेड़ नहीं दिखाई देता है। समतल जमीन पर प्लान्टेशन किया जाता है। इसलिये पहाड़ों पर प्लान्टेशन होना चाहिये और समतल जमीन पर नहीं होना चाहिये क्योंकि समतल जमीन पर प्लान्टेशन नहीं करने से उसमें खेती तो हो सकती है। आज जंगलों में जो महुआ, करंज आदि फल पैदा होता है उसको उचित दाम पर खरीदने की कोई समस्या नहीं रहने से व्यवसायी वर्ग उसको सस्ते दाम पर खरीद लेते हैं। इसलिये इसकी व्यवस्था होनी चाहिये।

अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ। सरकार ने यह एलान किया था कि हम आदिवासियों को सस्ते दाम पर लकड़ी उपलब्ध करायेंगे, जगह-जगह पर डिपो खोलकर। मैं वन मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि कितनी जगहों पर डिपो खोले गये हैं? आज बीस-बीस, पचीस-पचीस कि० मी० की दूरी पर डिपो खोला गया है तो कैसे आदिवासी लकड़ी खरीदने आ सकते हैं? जमशेदपुर में डिपो खोला गया है और वहाँ से पटमदा चालीस कि० मी० की दूरी पर है। तो कैसे पटमदा प्रखण्ड के लोग वहाँ आ सकते हैं? पटमदा प्रखण्ड काफी दूर तक फैला हुआ है और वहाँ पर चार डिपो होना चाहिये। लेकिन आज एक भी डिपो वहाँ नहीं है। इसलिये इस ओर मैं वन मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

सभापति महोदय, जो वन में काम करते हैं, डेली रेट पर काम करते हैं उनको मजदूरी क्या दी जाती है? पाँच रुपया। सभापति महोदय, जबकि सरकार कृषक मजदूर का रेट आठ रुपया तय किया है। आठ रुपया उनके लिये न्यूनतम मजदूरी है। लेकिन वन विभाग में काम करनेवाले आदिवासियों को 5 रुपया मजदूरी दी जाती है। यह कहाँ का न्याय है। यह मजदूरों के साथ, आदिवासी मजदूरों के साथ अन्याय है, उनका शोषण है।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान रेशम उद्योग की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। प्लान्टेशन होता है, उस पर लाखों रुपये खर्च होते हैं। मगर आप जायेंगे तो देखेंगे कि रेशम उद्योग में कीड़े पालने वाले लोग कीड़ा पालते हैं लेकिन उसको खरीदने वाला कोई नहीं है। वह बाजार में जाकर देखता है और वहाँ सस्ते दर पर बेचता है। इसकी खरीददारी के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। इस सम्बन्ध में इन्क्वायरी हो चुकी है और इन्क्वायरी में यह पाया गया है कि कोई व्यवस्था नहीं है। इतना ही कहकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ।

श्री शरद कुमार जैन—सभापति महोदय, जंगल अच्छे स्वस्थ्य जीवन के लिये अति आवश्यक अंग बन गया है। चाहे हमारे घर में चूल्हा जलाने की बात हो, चाहे मकान बनाने की बात हो, चाहे कल कारखाना खोलने की बात हो, चाहे जो हमारे जीवन में सबसे अनिवार्य चीज है पानी उसकी आवश्यकता हो, बिना जंगल के यह सम्भव नहीं हो सकता है। आज जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है वह यह है कि हमारे यहाँ 33 परसेन्ट जमीन पर जंगल होना चाहिये उसका हमारे राज्य में अभाव है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिये हम क्या कार्यक्रम बना सकते हैं इस पर विचार करना जरूरी है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब सदन में पिछले समय इस विषय पर वार्तालाप हो रहा था तो मैंने कुछ सुझाव दिया था परन्तु आज तक उसका कार्यान्वयन नहीं हुआ। हम विधायक, चाहे किसी भी पार्टी के हों, अगर किसी तरह का सुझाव देते हैं तो क्या कचड़े की टोकरी में डालने के लिये देते हैं या काम हो सकेगा उसके लिये देते हैं ? सभापति महोदय, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप माननीय मंत्रियों को ऐसा निदेश दें कि जो भी विधायक बोलें, जो भी विधायक सुझाव दें उसका अमल जरूर हो। हमारे सुझाव पर अमल होगा तभी फायदा है वरना कोई फायदा नहीं होगा।

सभापति महोदय, जहाँ तक जंगल काटने की बात है इसमें कोई दो मत नहीं है। यह सौ प्रतिशत सही है कि नाजायज तरीके से जंगल कट रहा है। जिस पर ऊपर का वरदहस्त है, जो ऊपर के अधिकारी हैं, जो ठीकेदार हैं सब लूट में लगे हुए हैं लेकिन उन पर कोई अंकुश डालने वाला नहीं है। मगर जैसा कि माननीय सदस्य श्री देवेन्द्रनाथ चाम्पिया ने कहा कि अगर कोई कमजोर व्यक्ति अपनी जरूरत के लिये लकड़ी काटता है तो उस पर इमिडियेट ऐक्शन ले लिया जाता है और उसको जेल में बन्द कर दिया जाता है।

उनका शोषण होता है। कभी भी हमारे वन मंत्री यह सोचने की कृपा की है कि इसको दूर करने का क्या तरीका हो सकता है। हमारे वैसे व्यक्ति जो रोजगार चाहते हैं, वैसे वनवासी जो रोजगार चाहते हैं, जिनको खाने-पीने की चीजों की जरूरत है, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको कैसे ऊपर उठाया जाय यह कभी आपने सोचा है ? जंगल के इलाकों में उद्योग स्थापित कर वहाँ के लोगों को रोजगार दिया जाय इस संबंध में मैंने कई दफा सदन में सुझाव दिया है लेकिन उसपर कोई अमल नहीं किया गया। जब मैं पटमदा में गया और वहां घूम रहा था तो देखा कि वहां मशाला तैयार किया जाता है उसको विकसित करने की जरूरत है। उस इलाके में लौंग, इलायची, जायफल जयत्री के पेड़ लगाये जा सकते हैं और इसका पेड़ हजारीबाग तथा रांची के इलाकों में लगाये जा सकते हैं। इस ओर भी सरकार का ध्यान अविलम्ब जाना चाहिये। उससे यह होगा कि वहां के गरीब तबके के जो लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा। क्या हमारे यहाँ नारियल का पेड़ नहीं लग सकता है। हमारे वहां नारियल का पेड़ भी काफी मात्रा में लगाये जा सकते हैं और उससे हमारी आमदनी बढ़ सकती है। चंदन के पेड़ हमारे यहां के जंगलों में नहीं हैं। यदि हमारे यहां चंदन के पेड़ लगाये जाय तो उससे भी हमारी आमदनी बढ़ सकती है। साथ ही चंदन से खिलौना भी बनाकर इसको हम एक्सपोर्ट कर अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं और उससे गरीब तबके के लोगों को लाभ भी पहुंच सकता है। क्या हमारे यहां युकलिप्टस का पेड़ नहीं लगाया जा सकता है ?

यदि इसको लगाया जाय तो इससे अनेक प्रकार के तेल बनाकर हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इसके कारखाना में हम बेरोजगारों को रोजगार दे सकते हैं। हमारे यहां रेशम का उद्योग खड़ा नहीं किया जा सकता है। उसके लिये शहतूत या दूसरे इसी तरह के पेड़ नहीं लगाये जा सकते हैं जिसपर रेशम के कीड़े पाले जा सकें। रेशम के धागे काटने या उससे कपड़ा तैयार करने का उद्योग चलायें तो उससे हम काफी लोगों को रोजगार दे सकते हैं। लेकिन अफसोस है कि यहां कि सरकार का ध्यान इस ओर नहीं है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इन चीजों की तरफ सरकार ध्यान दे तो बहुत हद तक यहां की बेरोजगारी की समस्या दूर हो सकती है। आप सभी जानते हैं कि दरभंगा में पेपर मिल है जिसके लिये पल्प की आवश्यकता होती है। वह पल्प आसाम से मंगाना पड़ता है। क्या बिहार में हजारीबाग या रांची में पल्प फैक्टरी नहीं लगाये जा सकते हैं ? इस ओर

की सरकार का ध्यान जाना चाहिये और सरकार बिहार में एक पल्प फैक्टरी अवश्य बैठाये।

मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि नहर के किनारे-किनारे पेड़ लगाने का काम होना चाहिये। लेकिन आप बिहार में कहीं नहीं देखेंगे दक्षिण बिहार में तो आपको नहीं ही मिलेगा। पटना मुजफ्फरपुर आरा आप कहीं भी जायें नहर के किनारे पेड़ नहीं पायगें। सभापति महोदय, मैं अपने क्षेत्र के संबंध में कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में पुनपुन नदी के किनारे पेड़ लगाना चाहिये हमारे ही क्षेत्र पटना सीटी में मंगल तालाब के किनारे भी पेड़ लगाया जाना चाहिये साथ ही गंगा के किनारे-किनारे 4-5 पंक्ति में पेड़ लगाये जाना चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वन विभाग की मांग का समर्थन करता हूं।

श्री राजेन्द्र सिंह—सभापति महोदय, मैं वन विभाग की जो मांग सदन में पेश है उसका विरोध करता हूं। सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं कि वन काटकर आप क्या करेंगे। कहावत है कि जिस तरह से पानी के बिना मछली नहीं रह सकती है उसी तरह हमारे जंगली भाई, आदिवासी भाई जंगल के बिना नहीं रह सकते हैं, मर जायेंगे।

भारत सरकार ने 1957 में एक वन कानून बनाया था और 1965 में जंगलात रैयत के अन्दर लाने का था। इमरजेंसी के अन्दर 1976 में संशोधन करके इसको समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया। 1980 में जब कांग्रेस फिर सत्ता में आई तो वन संरक्षण अध्यादेश बना और बाद में वह कानून बन गया। ब्रिटिश शासनकाल में 1965 से पहले आदिवासी और वनवासी को वन के अन्दर वन के उत्पादन पर पूर्ण अधिकार था। 1965 में जंगलात को व्यापार की वस्तु बनाया गया और जंगलात की जो भूमि है उसको जंगलात की जमीन घोषित किया गया। 1978 में वनों को तीन भागों में बांटा गया :—संरक्षित वन, सुरक्षित वन और गांवों के वन। पहली बार बिना मजिस्ट्रेट के हुक्म के जंगल कि जो कानून बनाये गये हैं उसका उल्लंघन किये जाने पर उनको एरस्ट किया जायेगा। जंगल से जंगलवासी के जंगल के पराम्परागत जो उनको अधिकार था जंगल के फल, जंगल के कंदमूल, जंगल के जानवरों का शिकार करना, जंगलों के घास बिक्री करके जीते थे जो उनको अधिकार था। जंगलात में वन कानून के अनुसार तीन महीने से तीन साल तक दंड का विधान है, फिर एक हजार रुपये से 5 हजार रुपये तक जुर्माना का विधान रखा गया है और किसी किसी हालत में पांच हजार रुपया से ऊपर जुर्माना रखा गया है जैसे—चन्दन की लकड़ी, रोजगुट और रेजवुट

पर पांच हजार रुपये से अधिक का जुर्माना रखा गया है। इसमें कुछ ऐसी धारायें हैं जो वनवासियों के प्रतिकूल जाती हैं। किसी भी वन को सरकार जब चाहे सुरक्षित वन घोषित कर सकती है। धारा-8 में फौरेस्ट सेटलमेंट अधिकार को उसके क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया है। धारा-10 में झूम की खेती होती है उसको नाजायज कर दिया गया है। धारा-28 में वनवासियों को वन उत्पादनों से वंचित कर दिया गया है जैसी लकड़ी, लकड़ी का कोयला, महुआ, केंदु पत्ता, लाह, फल-फूल, शहद, घास, रेजिन एवं अन्य वन्य वस्तु से वंचित कर दिया गया है। धारा-42 के अन्तर्गत वन या जमीन को सरकार जब चाहे अपने नियंत्रण में ले सकती है। धारा-43 के अनुसार किसी केस को अदालतों को नहीं दिये जाने की व्यवस्था है। आदिवासियों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। गरीबी 73 प्रतिशत आबादी के पहुंच गयी है।

1961 में काश्तकार आदिवासियों की संख्या 59.44 प्रतिशत थी जो 1971 में बढ़कर 48.34 प्रतिशत हो गई। उसी तरह से खेतिहर मजदूरों की संख्या 1961 में 30.09 प्रतिशत थी वह 1971 में बढ़कर 42.43 प्रतिशत हो गयी। मेरा सुझाव है कि आदिवासी अर्थ व्यवस्था में वनों के महत्व की भूमिका को देखते हुए वन नीति में सुधार किया जाय। जंगलों में आदिवासियों की खेती योग्य जमीन को पैत्रिक अनउल्लंघन नियम अधिकार होना चाहिये ताकि वन उत्पादन पर आदिवासियों का मूल अधिकार हो और उन्हें बटोरने का अधिकार आदिवासियों को होना चाहिये।

श्री चन्द्रिका पांडेय—सभापति महोदय, उत्तर बिहार में केवल पश्चिमी चंपारण में ही जंगल है जिसकी ओर में सरकार का ध्यान ले जाना चाहता हूं। जब 1930 में मैं वहां के जंगलों में पहाड़ी आदिवासियों के गांवों में घूमा करता था तो उस समय जंगल की जो हालत देखता था और आज घूमने के बाद उनकी जो हालत देखता हूं उससे ऐसा लगता है कि वहां के जंगल सिकुड़ते जा रहे हैं। मैंने देखा है कि वाल्मिकी नगर में गंडक के उस पार जो 27 वर्गमील का जो नरसरी जंगल था उस समय के बेतिया राज की तरफ से फौरेस्टर, फौरेस्ट गार्ड के रहने के लिये जो इन्तजाम था, जो बंगला था वहां जो लोग बसते थे वह अब नेपाल के कब्जे में चला गया तो उधर के लोग भागकर इधर चले आये हैं। सुस्ता एक छोटा सा एरिया है जो गंडक के इस पार है उसे भी नेपाल अपना कब्जा बताता है। इस प्रकार मैं देखता हूं कि आज हमारा जंगल सिमटता जा रहा है तथा सरकार की तरफ से जो लाखों रुपये जंगल को बढ़ाने की दिशा में खर्च किया जा रहा है पर दूसरी ओर जंगल खतम होते जा रहे हैं। पहले के जमाने में थारू, पहाड़िया, धांगड़, मुसहर को जंगल में जो सुविधा मिलती थी आज उसमें कटौती हो

गयी है। वहां के लोगों में इसके चलते असंतोष है।' साथ ही जंगल की जमीन पर बाहर के लोग आकर खेती करने लगे तो इन आदिवासियों को पैदावार में कमी हो गयी और जंगल कटने लगे। चंपारण में रामनगर राज और बेतिया राज का जंगल था। रामनगर राज्य के रैयतों को पैदावार पाने का सिस्टम है चरसा और बेतिया राज्य में पैदावार पाने का सिस्टम है कटियारी। इसी सिस्टम के अनुसार थारू, पहाड़िया, धांगड़ तथा मुसहर को पैदावार का हिस्सा मिलता था। और इसी के मुताबिक वहां के जो काश्तकार हैं थारू, धांगड़, पहाड़ी, हरिजन और आदिवासी तो इन्हीं चार जातियों को पैदावार का हक मिलता था. लेकिन आज बंटवारा हो गया है जिसके कारण उनको यह पैदावार मिलना बन्द हो गया है। सभापति महोदय, जबसे वन विकास निगम बन गया है तबसे जंगलों की कटाई बढ़ गयी है और इस कटाई के बढ़ जाने से सरकार की आमदनी मारी जाने लगी है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वनों की कटाई होने से सरकार को काफी नुकसान हो रहा है क्योंकि उसकी आमदनी सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है। सभापति महोदय, आंवला, खैरा, हरा, बहेड़ा आदि के वृक्षों के कटाव से सरकार को काफी आमदनी मारी जा रही है इससे काफी आमदनी हुआ करती थी। हरा, आंवला, बहेड़ा, खैरा आदि से पहले बेतिया राज को आमदनी होती थी और जबसे यह सब सरकार के हाथ में आया है तबसे सरकार को आमदनी होती थी। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इन चीजों के पेड़ों की कटाई पर पूरी रोक लगाये। उसी तरह से सरकार का ध्यान जो जड़ी-बूटी हमें जंगलों से मिलती है उसके वृक्षों की ओर और हरा, पीपर, सतवार आदि के पेड़ों की ओर जाना चाहिए और इनके कटाव पर पूर्ण रूप से पाबन्दी होनी चाहिए। इन जड़ी बूटियों से बहुत-सी दवाइयां बना करती हैं इसलिए इनकी पूरी रक्षा होनी चाहिए। जंगल में काम करने वाले जो वन पाल हैं या कर्मचारी हैं वे अकेले टांगी लेकर घूमते हैं और उनको तमाम अनैतिक तत्वों, गुण्डों से सामना करना पड़ता है जो जंगल में काफी सक्रिय रहते हैं और यही गुण्डे लोग रात में डकैती करते हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि वन विभाग के सारे कर्मचारियों को जिस तरह से पुलिस और मिलिट्री की ट्रेनिंग होती है और अस्त्र-शस्त्र से उन्हें सुसज्जित किया जाता है उसी तरह से वन विभाग के सारे कर्मचारियों को अस्त्र-शस्त्र से सुसज्जित करें ताकि उनपर कोई भी गुण्डा तत्व हमला नहीं करे।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह—सभापति महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आप देख ही रहे होंगे कि वन के विषय पर चाहे हमारे मंत्रीगण

हों, या माननीय सदस्यगण हों चाहे वे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों उनलोगों को इससे कितना लगाव है या उसके बारे में ये कितने चिन्तित हैं, अभी जो सदन में उपस्थिति है उसी से आप इसका अन्दाजा लगा सकते हैं। वनों का महत्व हमारे जीवन के लिए, हमारी सभ्यता के लिए और हमारी संस्कृति के लिए कितना आवश्यक है, इसका कितना मूल्यवान योगदान है इसके बारे में या तो हम भूलते जा रहे हैं या उसके बारे में चिन्ता करना नहीं चाहते। आज जो सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो गयी है क्या बिहार के वनों की कटाई उसके लिए जवाबदेह नहीं है? ऐसी ही स्थिति आज सम्पूर्ण देश में हो रही है। सभापति महोदय, यह स्थिति सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं है बल्कि सम्पूर्ण एशिया में जो देश हैं जहां वन लगे हुए थे उनके 40 प्रतिशत भागों में वनों की कटाई हो चुकी है, उन देशों में मात्र 20 प्रतिशत ही जंगल रह गये हैं।

एशिया के देशों में समृद्धि नहीं रही है। एक मूल प्रश्न है कि वन किसी भी देश में राजस्व का माध्यम नहीं बन सकता है। यदि किसी भी देश में राजस्व के लिए वन आंका जाये तो ऐसा नहीं हो सकता है। वह देश की सम्पत्ति है। वन आने वाली पीढ़ियों के लिए मूल्यवान होता है। आज वन के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। करोड़ों-करोड़ रुपया वन के लिए देना पड़ता है। लेकिन वन से राजस्व की वसूली की बात नहीं सोचनी चाहिए। सभापति महोदय, आज जो स्थिति पैदा हो गयी है कि जहां 33 प्रतिशत वन होना चाहिए उसके विपरीत में अब 13 प्रतिशत वन बच गया है। मेरे ख्याल में 13 प्रतिशत से भी कम वन बिहार में रह गया है। क्योंकि जंगल कटते जा रहे हैं और उसकी जगह पर उसके अनुपात में वन लगाये नहीं जा रहे हैं। जितना वन लगाया जा रहा है उससे ज्यादा उजड़ता जा रहा है। सभापति महोदय, मेरा भी तालुकात वन से रहा है। इसलिए मैं बड़ी मजबूती के साथ कहना चाहता हूं कि दूसरे-दूसरे क्षेत्र के लोग वन में ठोकेदार के रूप में, भेस्टेड इंट्रेस्ट के रूप में चले गये हैं और कहीं वन के अधिकारियों से मिलकर, कहीं वन के ठीकेदारों से मिलकर उनके माध्यम से वन को उजाड़े जा रहे हैं। सभापति महोदय, वन आदिवासियों के के लिए जीवन है। सदियों से हजारों वर्षों से आदिवासी जंगलों में बसते आ रहे हैं। वे जंगल को कभी उजाड़ नहीं सकते हैं। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जंगल की जो कटाई हुई है या कटाई चल रही है वह बड़ा विनाशकारी सिद्ध होगा। वह बड़ा दुखद होगा। इस प्रान्त को भी उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। सभापति महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यह बड़े सौभाग्य की बात है कि इस विभाग को बड़े ईमानदार अफसर मिले हैं। श्री पाण्डेय जैसे चीफ कंजरभेटर मिले हैं।

लेकिन आप उनका उपयोग नहीं कर रहे हैं। उनके पास जो तकनीकी ज्ञान है, उनको काम करने का जो ज्ञान है उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। आपने वन निगम की स्थापना की है, लेकिन उसको कोई अधिकार नहीं दिया है। पिछले सत्र में यह बात आयी थी कि निगम की स्थापना की जाये और आपने बनाया। अच्छी बात है। लेकिन उसको अभी तक अधिकार नहीं दिया है। इसके कारण पेपर फैक्ट्री नहीं बैठ सकती है। आपने यह व्यापार अपने हाथों में ले लिया। लेकिन जो कंट्रैक्टर हैं, चाहे वे पलामू के हों, रांची के हों वे उसमें बाधक बन रहे हैं। कहीं पर ठीका नहीं होने देते हैं। वे बिड नहीं होने देते हैं। आप उसकी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपने जो कार्य किया है, ठीकेदारी प्रथा को उन्मूलन किया है, भेस्टेड इंट्रेस्ट के लोगों को हटाया है, वह सराहनीय है। लेकिन उसका लाभ गरीब आदिवासियों को मिलना चाहिए, लेकिन ठीकेदार के कारण उसे नहीं मिल रहा है। वह अड़चन डाल रहा है। आप इन सारी बातों को समाप्त नहीं करेंगे तो उनको लाभ होने वाला नहीं है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि वन का, वनों में रहने रहने वाले प्राणियों का हमारे जीवन से सीधा सम्बन्ध है। आज जो वातावरण में प्रदूषण बढ़ रहा है उसको देखते हुए वन और वन प्राणियों की रक्षा आवश्यक है। वन प्रदूषण को समाप्त करते हैं और हमारे जीवन को सम्पन्न बनाते हैं। बिहार में स्थिति दु:खद है। जो इसके लिए गाइड लाइन भारत सरकार ने दिया है और यहां फुल-फलेज्ड एक कंजरभेटर रखने की बात थी, वह आज तक नहीं हो सका है। आप टाइगर प्रोजेक्ट पर करोड़ों रुपया खर्च करते हैं और यह रुपया भारत सरकार देती है। टाइगर के विषय में मैं कहना चाहूंगा कि बाघ मारना एक संज्ञेय अपराध माना गया है। लेकिन आज रोआयल टाइगर की हत्या की जाती है। रजौली के इलाके में दो बाघ मारे गये हैं। मंत्री महोदय कहेंगे तो मैं मारने वालों का नाम और पता बतला दूंगा। दो-तीन महीनों के अन्दर यह हत्या की गयी है। सरकार इस पर पैसा खर्च करती है लेकिन आपकी ओर से कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। सरकार को इसपर ध्यान देना चाहिए जिसमें वनों की रक्षा हो सके, और वाइल्ड लाइफ की रक्षा हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री जयकुमार पालित—सभापति महोदय, वन मंत्री द्वारा वर्ष 1982-83 के लिए जो मांग 19 करोड़ 92 लाख का सदन में लायी गयी है उसका मैं समर्थन करता हूं। सभापति महोदय, हमारे वन मंत्री ने जिस तरह से राज्य सरकार और केन्द्र में प्रधान मंत्री के निर्देश पर वन विकास के लिए वन वासियों के हित के लिए क्रान्तिकारी कार्य-

क्रम लागू किया है और घोषणा की है उससे बिहार की धरती पर, आदिवासियों के बीच उतारने का प्रयास किया है। विरोधी दल वाले अपनी बातों को कहेंगे तो उन बातों का हवाला देंगे कि ठीकेदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ है। लेकिन इस ओर उनका ध्यान नहीं गया है। हमारे मंत्री के निर्देश में जो वन सम्बन्धी उपलब्धियां हुई हैं और जो उपलब्धि बढ़ रही है उस ओर भी उनका ध्यान जाना चाहिए। 2 लाख 10 हजार हेक्टर जमीन में वन-रोपन किया गया है। 325 कीलोमीटर सड़क के किनारे पेड़ लगाये गये हैं। रेलवे लाइन के किनारे भी पेड़ लगाये गये हैं। रैयती जमीन पर भी पेड़ लगाये गये हैं। इस विभाग में जो खामियां हैं और जो, इसके पदाधिकारी हैं उनके बारे में भी कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय, हमारे यहाँ वन सम्पदा पर आधारित स्थानीय उद्योगों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। हिन्दुस्तान में जितना खैर होता है उसका साठ प्रतिशत बिहार में ही होता है लेकिन इस खैर की लकड़ी पर आधारित यहाँ कोई भी उद्योग नहीं खड़ा किया जा रहा है और यह सारी लकड़ी दूसरे-दूसरे राज्यों में उद्योग के लिये चली जाती है। खैर की लकड़ी का रेट खराब करने के लिए दूसरे राज्य के लोग यहाँ आकर ज्यादा रेट लगा देते हैं और ले जाते हैं। बिहार के लोगों को जो इस उद्योग में हैं उनको यह लकड़ी नहीं मिल पाती है और बाहरी लोग काट-काट कर ले जाते हैं जिससे वहाँ के उद्योगों को बल मिलता है और यहाँ का यह उद्योग चौपट हो गया है। गया जिले में डुमरिया, इमामगंज और बाराचट्टी इलाके में नक्सलाइट का बहुत आतंक है। लोग जंगल से नक्सलाइटों के डर से केन्दू पत्ता नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि वहां सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। बहुत-से बेरोजगार स्नातक ठीकेदार इनके डर से अपना अरनेस्ट मनी वापस लेने के लिये आवेदन तक दे दिये हैं क्योंकि उनके लिये समुचित सुरक्षा का प्रबन्ध नहीं है। साल सीड्स की सदन में बड़े जोर-शोर से चर्चा हुई थी। सभी माननीय सदस्य इसे जानते हैं कि इस साल सीड्स में एक करोड़ 35 लाख का घोटाला हुआ था बिक्री करने के सिलसिले में। इसमें ऐसे पदाधिकारी संलग्न हैं जिनकी दिन-रात तरक्की हो रही है। मैं व्यक्तिगत रूप से किसी पर आक्षेप नहीं करता हूँ। साल सीड्स की बिक्री में एक करोड़ 35 लाख का जो घोटाला हुआ था उसकी काफी चर्चा सदन में तरह-तरह से उठायी गयी थी जिस पर अध्यक्ष महोदय ने मंत्री महोदय का उत्तर संतोषप्रद न होने के कारण इस प्रश्न को प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति में दे दिया था। यह घोटाला श्री परमानन्द मिश्र के समय में हुआ था लेकिन इनको कोई सजा देने के बदले इनको प्रोन्नति दी गयी है। बिहार के

पार्टी को साल बीज न देकर कलकत्ता के पार्टी को दिया गया था। माननीय मंत्री काफी वरिष्ठ हैं और बड़ी ईमानदारी से अपने विभाग का काम चला रहे हैं जिससे आज भी वन मंत्री मुण्डा साहब पर कोई अंगुली नहीं उठा सकता है। फिर भी ऐसे मंत्री के जमाने में जब इतना बड़ा साल बीज घोटाला कांड हो और जिसके जरिये हो उसीको प्रोन्नति दी जाय यह कैसी विचित्र बात है। इस घोटाला का न उचित जाँच ही हुआ है और न कोई कार्रवाई ही हुई है। यह बड़े दुख की बात है।....

श्री हेमन्त कुमार झा—सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जो प्रश्न सदन में पहले उठा हो और वह प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को सौंपा गया हो और उस पर प्रतिवेदन भी आवेगा ही तो ऐसे विषय पर यहाँ चर्चा नहीं होनी चाहिये। इस पर आपका नियमन होना चाहिये।

श्री जयकुमार पालित—सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री हेमन्त कुमार झा जी ने जो प्रश्न उठाया है वह बहुत पहले सदन में आ चुका है और उस मामले पर काफी चर्चा हो चुकी है और यह प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति में है। मैं जानता हूँ कि इसका हवाला दिया जा सकता है। इस पर प्रश्न भी हो सकता है और उसकी चर्चा भी यहाँ हो सकती है। वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये वन विभाग की योजनाओं की रूप-रेखा प्रस्तुत की गयी है, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से विपक्ष के सदस्यों को बतला देना चाहता हूँ, बिहार की जनता को बतला देना चाहता हूँ, आदिवासी वनवासियों को बतला देना चाहता हूँ कि कितना दर्द है हमारी सरकार को इनके प्रति, हमारे नेता प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को है, पिछले साल जो बजट दिया गया था, योजना मद के लिये वह था 525 करोड़ और इस वर्ष के लिए 728 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है, यह इस बात का द्योतक है कि बिहार सरकार और केन्द्र सरकार ने वनवासियों, आदिवासियों के लिए उनके विकास हेतु ज्यादा-से-ज्यादा राशि योजना मद में दी है। इस प्रकार से इन्हीं बातों के साथ वन मंत्री द्वारा 19 करोड़ 92 लाख का जो मांग प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ।

श्री शंकर प्रताप देव—सभापति महोदय, जब मैं इस सदन में नहीं था तो श्री इन्दर सिंह नामधारी, माननीय सदस्य, ने पलामू जिला की कुछ ऐसी घटना का जिक्र किया, वह यह कि हमने पलामू नेशनल पार्क में शिकार किया। सभापति महोदय, दुःखद बात तो यह है कि जब कोई माननीय सदस्य....

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह—मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह इनका व्यक्तिगत स्पष्टीकरण है या आक्षेप?

श्री शंकर प्रताप देव—दुःखद बात यह है कि पलामू जिला में मैं जरूर गया था, हमारे 20 सूत्री कार्यक्रम के प्रभारी मंत्री जिस दिन गये थे, उसके एक दिन पहले मैं पलामू में था और जो यह चर्चा हुई, चूंकि एक माननीय सदस्य ने किया, इसलिये दुःख की बात है, इसलिये मैं पर्सनल एक्सप्लानेशन दे रहा हूँ। पलामू जिला में एक नेशनल कंजरभेशन सोसाईटी है····

श्री राजमंगल मिश्र—हमारा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य श्री इन्दर सिंह नामधारी ने किसी मंत्री का नाम नहीं लिया।

श्री शंकर प्रताप देव—पलामू जिले के जब राज्य मंत्री उन्होंने कहा तब तो मैं ही हूँ। ऐसी स्थिति में हुजूर, विरोधी दल के जितने नेता थे, उन सभी ने लिखित रूप से अखबारों को झूठा बयान दिया, उसमें लिखा कि पलामू नेशनल पार्क जो है, उसमें शिकार हुआ। हमारे टाईगर प्रोजेक्ट के जो डायरेक्टर हैं, ने इसका तुरत खंडन किया। जब विरोधी दल के नेता श्री कर्पूरी ठाकुर बोलते हैं तो मैं बहुत आदर और सम्मान से सुनता हूँ और हमलोग चाहते हैं कि उनसे कुछ सीखें और उनके अच्छे सुझाव पर चलें। चूंकि माननीय सदस्य ने गलत बयान देकर अखबार में निकाला, जिसे टाईगर प्रोजेक्ट के डायरेक्टर ने तुरत खण्डन किया कि पलामू नेशनल पार्क में कोई शिकार नहीं हुआ और नेशनल कंजरभेशन सोसाईटी का मैं प्रेसिडेंट हूँ, सरकार का ध्यान बराबर इस ओर दिलाता रहा हूँ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और माननीय मंत्री का ध्यान बराबर आकृष्ट किया है कि पलामू जिला में बुरी तरह से जंगल कट रहे हैं और जंगल बर्बाद हो रहे हैं, नेचुरल कंजरभेशन सोसाईटी की इसके लिये लगातार लड़ाई चल रही है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ध्यान बराबर हमने आकृष्ट किया, ऐसी स्थिति में जंगल में काम करने वाले ठीकेदार जो हैं, उनको बुरा लग रहा है, सरकार की यह नीति है कि ठीकेदारी प्रथा बन्द की जाय, इसी की प्रतिक्रिया है कि मा० सदस्य श्री इन्दर सिंह नामधारी इस तरह की बात बोल रहे हैं। मा० सदस्य श्री नामधारीजी ने जो किया है, इनकी जो धांधली है, यदि कहूँ तो उनको बुरा लगेगा, इसलिये कहना ठीक नहीं है।

श्री इन्दर सिंह नामधारी—सभापति महोदय, मैंने अपने भाषण में इनका नाम नहीं लिया है। मैं डरनेवाला नहीं हूं। मैं आप से पूछना चाहता हूं कि आप वहां रात में ठहरे हुए थे कि नहीं? धमकी वाला भाषण आप बंद करें। मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। यह तो चोर की दाढ़ी में तिनकावाली बात हो गयी। आप इतना परेशान क्यों हैं?

श्री हेमन्त कुमार झा—सभापति महोदय, सरकारजी कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका ।

(शोरगुल)

श्री शंकर प्रताप देव—दाढ़ी इनके पास है और ये खुद चोर हैं ।

श्री इन्दर सिंह नामधारी—राज्य मंत्री दिन में भी पीते हैं, इसलिये इनको होश नहीं है ।

श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा—सभापति महोदय, सदन में जो बातें हो रही हैं, उसकी ओर आप का ध्यान आकृष्ट करते हुए, मैं यह बताना चाहता हूं कि एक हिरण के शिकार चलते सदन का इतना बड़ा महत्वपूर्ण और बहुमूल्य समय बर्बाद हो रहा है। एक जमाना था कि जब जानवरों की संख्या अधिक थी तो सरकार लोगों को रायफल और गोली देकर जानवरों को नाश कराती थी लेकिन इसके नाश करने के लिये आदेश जारी करती थी लेकिन अब जानवरों की संख्या कम है, इसलिये सरकार आज इस पर पाबंदी लगा दी है । सदन का बहुमूल्य समय इसमें बर्बाद किया गया ।

श्री महेन्द्र नारायण झा (बाबूबरही)—सभापति महोदय, बार-बार ये दुहराते हैं कि सदन का बहुमूल्य समय बर्बाद हो गया, बेकार हो गया ।

श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा—ठीक है, मैं मान लेता हूं कि बर्बाद नहीं हुआ ।- आज जंगल में जानवरों की संख्या कम है, इसलिये अन्तर्राष्ट्रीय पैमाने पर यह समस्या हो गयी है कि उन्हें कैसे बचाया जाय । उसकी संख्या कम क्यों हो गयो है ? उन्हें कैसे बचाया जाय ? उनकी संख्या कम क्यों हो गयी है ? यह सरकार की गलत पालिसी के चलते और सरकारी पदाधिकारी भी दोषी हैं । हरियाणा और पंजाब में वन की सुरक्षा के लिये बहुत योजना है । वहां पर रीभर के लिये भी ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन यहां पर इसका ट्रेनिंग नहीं होने के कारण से हमारे बैरन लैन्ड पड़े हुए हैं । आज ट्रेनिंग नहीं होने के कारण ही जहां हमारी नदियों में जंगल का पत्ता सड़कर मिट्टी खाद के रूप में आना चाहिये, वहां पर आज पत्थर और बालू आ रहा है । इसलिये नदियों में सिल्ट पड़ता जा रहा है । ट्रेनिंग ऑफ रीवर नहीं करने के चलते वहां बालू आता है, पत्थर आता है और वहां थारू लोग रहते हैं, वे परेशानी में हैं । सभापति महोदय, आप जानते हैं कि चम्पारण जिला की जमीन कितनी उपजाऊ है उसका यह हाल हो रहा है । एक जमाना था जब उस जिले को ग्रेनरी ऑफ बिहार कहा जाता था । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि ट्रेनिंग ऑफ रीवर बहुत महत्व-

पूर्ण चीज है। इसलिए मंत्री महोदय इसको नोट कर लें और विभागीय पदाधिकारियों को इस काम को करने के लिए कहें।

वाल्मीकिनगर के आसपास नेपाल सरकार ने नदी को टैम करने के लिए स्पर बना दिया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी गंडक नदी को टैम करने के लिए पश्चिमी बांध बनाया है, स्पर बनाया है पर बिहार सरकार ने ऐसा काम नहीं किया और बिहार सरकार के नेगलीजेन्स कि चलते वाल्मीकीनगर से करीब-करीब बगहा के बीच में लगभग एक डेढ़ हजार एकड़ में बहुत बेशकीमती वृक्ष साल के और शीशम के थे उनका सफाया हो रहा है। इसलिए मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस पर भी ध्यान दें और कारवाई करें ताकि जंगल की रक्षा हो और किसानों की फसल भी अच्छी हो, उनकी फसल बालू, पत्थर से बरबाद न हो।

श्री हेमन्त कुमार झा—सभापति महोदय, मैं आज सदन में लगातार उपस्थित था और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के माननीय सदस्यों की बात में बड़े गौर से सुनता रहा। उनके भाषणों में मुख्यतः दो बिन्दु हैं जिनमें एक बिन्दु जितना हृदय-स्पर्शी ढंग से श्री मुन्डा ने ब्योरेवार करके कहा वनवासियों का, जंगल में रहने वालों का। उन्होंने कहा कि पहले उनका वन पर आधिपत्य था और उनके मन में, उनके अंग-अंग में जंगल की खुशबू फैला करती थी, जिस तरह लकड़ियों के साथ उनका जीना, सोना, मरना बना हुआ था वह शनैः शनैः सभ्यता के विकास के साथ-साथ, बदलते हुए नियम कानून के साथ-साथ धीरे-धीरे आज वनवासी अलग हो गए। जब तक वन के वासियों का कोई नूतन समिश्रण और नई अनुभूति नहीं बना पायेंगे तब तक वन से जो उनको लाभ होता था वह नहीं हो सकेगा और वनवासियों के मन में जो पूर्व में वन के प्रति भावना थी उसका भी उभार नहीं होगा। इसीलिए मैं मांग करता हूं कि इस समस्या को दृष्टि में रखते हुए, विचार करते हुए सरकार निर्णयात्मक ढंग पर पहुंचे और सारे लोग एकमत होकर नया तरीका निकालें। यह काम यदि किए होते तो आज यह स्थिति नहीं होती। आपने देखा होगा ट्रेन से जसीडोह से, जमुई से, साहेबगंज से किस तरह सैकड़ों आदमी, नंगे, भूखे आदिवासी, छोटे लोग दतवन लेकर, छोटी-छोटी लकड़ियों का गट्ठर लेकर ट्रेन के छत पर जान की परवाह किए बिना हजारों-हजार की संख्या में रोज पटना जंक्शन पर आते हैं। हम और आप जिस दिन चाहें पटना जंकशन से लेकर हार्डिंग पार्क तक सड़क के किनारे-किनारे ये बैठे रहते हैं। दिन भर में दो रुपए से तीन रुपए तक इनकी मजदूरी होती है और दो से तीन रुपए तक की मजदूरी के लिए ये सैंकड़ों मिल की रफ्तार से यात्रा तय

करते हैं। हमने कभी उन पर विचार किया कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? आपकी योजना है, आप साढ़े नौ करोड़ रुपया लगाने जा रहे हैं, यह प्रसन्नता की बात है। आप सड़कों के किनारे-किनारे वृक्ष लगा रहे हैं, वृक्षों के कतार खड़े किए जा रहे हैं बहुत तेजी से। हम प्रगति का काम कर रहे हैं और हम ऐसा मानते हैं कि यदि यही प्रगति की रफ्तार बरकरार रही तो यह निश्चित है कि आज नहीं तो कल वन का विकास होगा ही और जितनी बातें कही गई हैं जंगल के नहीं रहने के कारण उन शिकायतों से भी बच सकेंगे और जंगल की वृद्धि कर सकेंगे। सिद्धांत मूलक बात यह है कि जंगल के आसपास जो रहने वाले हैं उनको जंगल का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कहा गया कि लकड़ी दिल्ली गई, कलकत्ता गई, बंबई गई पर आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि जंगल के अगल-बगल में, वहाँ से कुछ दूरी पर यानी वहाँ से बीस-पच्चीस मील की दूरी पर डीपू खोलने जा रहे हैं। इसमें मेरा सुझाव होगा कि मेरे यहाँ पहाड़िया आदिवासी रहते थे, सुन्दर पहाड़ी में, साहेबगंज के पहाड़ों में, इनका अवलोकन करेंगे तो आप पायेंगे कि इनके पूर्व की स्थिति में काफी ह्रास आया है। पहले वहाँ के लोगों को सवाई घास मिलता था उससे लाभ होता था इसे बंद कर दिया गया। मैं पूछता हूँ कि यह क्यों बंद किया गया? वहाँ उनको जो सुविधा मिलती थी उसे क्यों बंद किया गया? मंत्री महोदय जवाब देते समय यह बतायेंगे कि इसके लिए कौन दोषी है और उसे आप क्या सजा देंगे?

श्री रामजी प्रसाद महतो—सभापति महोदय, विरोधी पक्ष की ओर से जो कटौती प्रस्ताव पेश किया गया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। वन विभाग इतना महत्वपूर्ण विभाग है भौगोलिक दृष्टिकोण से कि इसका असर समूचे देश, समूचे सूबे पर पड़ता है। वन विभाग का सम्बन्ध पहाड़ से भी है।

(इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष महोदय, आज जो वन विभाग की समस्या है, पहाड़ों की समस्या है, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ। वन विभाग के पदाधिकारीगण अच्छी-अच्छी जो लकड़ियाँ हैं, उनको कटवा कर बेच रहे हैं और साथ-ही-साथ पहाड़ों का खंडन करवा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ और मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि जब पहाड़ ही नहीं रहेगा तो जंगल कहाँ रहेगा? आप एक एकड़ पहाड़ तोड़ने के लिए कहते हैं तो दस एकड़ पहाड़ टूटते हैं। आपके विभाग के द्वारा जो साल बीज या किसी

तरह के वृक्ष लगाये जाते हैं, वह कहाँ पर लगायें जाते हैं, क्या मंत्री महोदय को यह मालूम है ? वैसे जमीन पर पेड़ लगाये जा रहे हैं, जिस जमीन को गरीब आदिवासियों ने पत्थर हटा कर खेती के लायक बनाया, उसमें खेती करते थे, अपना पेट पालते थे, आज वैसी जमीन पर आप के विभाग द्वारा पेड़ लगाए जा रहे हैं। आपके पदाधिकारीगण झूठी रिपोर्ट देते हैं।

श्री ईश्वरी राम पासवान—यह गलत बात है।

श्री रामजी प्रसाद महतो—यह गलत बात नहीं है। मैं चैलेन्ज करता हूँ, अगर गलत बात है, तो आप इसकी इनक्वायरी करा दें। वैसी जमीन पर वृक्ष लगाये जा रहे हैं, जो जमीन ऊपजाऊ है, जिन पर लोग खेती करके अपना पेट पालते हैं। जो पहाड़ लाल दिखाई देते हैं, वहाँ पर वृक्ष नहीं लगाये जाते हैं, पहाड़ के नीचे-नीचे, जो उपजाऊ जमीन है, वहाँ पर पेड़ लगाये जा रहे हैं। वन विभाग द्वारा वाय फोर्स वन सीमा के अन्दर वैसी जमीन को नपवाकर, उस पर वृक्षरोपन का कार्य करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत सवालों पर बोलना चाहता था लेकिन समय कम है, इसलिए मैं अपने क्षेत्र की बात कहना चाहता हूँ। मेरा क्षेत्र चारो ओर से जंगल से घिरा है। वहाँ के पदाधिकारीगण रात-दिन कच्ची लकड़ी कटवा देते हैं और गरीब आदिवासियों से सूखी लकड़ी दो-दो रुपये बोझा लेते हैं तब उनको छोड़ते हैं और जो दो रुपया नहीं देते हैं, उनको दो-दो घंटा बैठा देते हैं जंगल में और कहते हैं कि इतना लगेगा, दो, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। इनके पदाधिकारी मौजूद हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि वैसे पदाधिकारी जो जलावन की सूखी लकड़ी ले जाने के लिये गरीब लोगों से पैसे लेते हैं वैसे पदाधिकारी को अविलम्ब वहाँ से हटा दिया जाना चाहिये।

श्री श्याम नारायण पाण्डेय—अध्यक्ष महोदय, वन मंत्री की ओर से जो वन विभाग की माँग प्रस्तुत की गयी है उसका मैं समर्थन करता हूँ। मैं आपके माध्यम से रोहतास जिला के कैमूर पहाड़ी क्षेत्र की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि वहाँ अधवारा है जो चंवल के नाम से पुकारा जाता है है। इसलिये वहाँ वन विभाग की ओर से कुछ ऐसा कार्य किया जाना चाहिये जिससे कि उसका नाम चंवल के रूप में कलंकित है वह मिट जाय। इस सम्बन्ध में मेरा कुछ सुझाव है जिसे मैं रखना चाहता हूँ। पहला सुझाव यह है कि वहाँ जंगल विभाग की ओर से जो फल-

दार वृक्ष की निलामी की जाती है उसकी निलामी नहीं की जाय और उस वृक्ष पर वहाँ के हरिजन तथा आदिवासी लोगों को छूट मिले ताकि वे फलदार वृक्ष से फलों को तोड़ सकें। इसमें एक बात यह होनी चाहिये कि जंगल विभाग की ओर से एक ऐसा स्थान निश्चित किया जाना चाहिये जहाँ वे अपने फलों को बेच सकें। आज वहाँ सड़कों का बहुत अभाव है। अगर आप वहाँ सड़कों का निर्माण कर देते हैं तो वहाँ के लोगों को आने-जाने की सुविधा हो जायगी और इससे भी जो चंबल के नाम से वह क्षेत्र कलंकित है उसका कलंक मिट जायगा। खासकर इस सम्बन्ध में मैं एक सड़क का नाम लेना चाहता हूँ. वह सड़क है पिपरा से सुमरसोक तक जो उत्तर प्रदेश तक जाती है। उत्तर प्रदेश की सरकार इस सड़क की विहार की सीमा तक पक्की सड़क बना चुकी है। यू० पी० की सीमा जहाँ समाप्त होती है वहाँ से पिपरा गाँव से एक सड़क निकलती है। इसलिये मेरा कहना है कि इस सड़क को कम-से-कम मोरम कर दीजिये ताकि इस क्षेत्र का विकास हो सके। चैनपुर प्रखंड में चार ऐसे पंचायत हैं जहाँ से साठ सत्तर कि०मी० की दूरी तय करके लोगों को आना पड़ता है। पहले कल्याणीघाट से एक रास्ता था लेकिन बीच में कुछ गड़बड़ी के चलते जंगल विभाग ने उस रास्ता को बन्द कर दिया। मेरा आग्रह है कि इस रास्ता को फिर-से चालू कराया जाय। इससे हरिजन और आदिवासी की सुरक्षा होगी। आज सचमुच में जंगल विभाग ने बहुत उपलब्धियाँ दी हैं। जिस ढंग से प्लान्टेशन लगाया जा रहा है, पेड़-पौधे लगाये जा रहे हैं, जिस ढंग से कालबद्ध योजना चलाया जा रहा है उससे जमीन दखल करने वाले भी महसूस करते हैं कि जंगल लगाने से फायदा होगा। इन्हीं चन्द शब्दों के साथ अधौरा में जो प्लान्टेशन लगाया गया है उसके सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से/ वन मंत्री से कहना चाहता हूँ कि आप ऐसी व्यवस्था करें कि सदन के तमाम सदस्य बारी-बारी से प्लान्टेशन को जाकर देखें तभी इन्हें सही ज्ञान होगा।

अधौरा में जो जंगल लगाया जा रहा है, वह बड़ी ही प्रसन्नता की बात है। लेकिन एक कमी मैंने महसूस किया है। पानी के अभाव में जो प्रगति होनी चाहिये थी वह नहीं हो पा रही है। इस सन्दर्भ में मैं आपके माध्यम से वन मंत्री का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूँ कि अधौरा में समुचित पानी की व्यवस्था करें ताकि प्लान्टेशन भी सफल हो और वहाँ के हरिजन-आदिवासी जो पानी के लिये तड़पते हैं उनकी समस्या भी हल हो सके।

अध्यक्ष महोदय, सिंचाई विभाग ने जंगल विभाग की जमीन लेकर कोहिरा में डैम बनाया। डैम बनकर तैयार भी हो गया है। डैम के आसपास बहुत-सी जमीन

पड़ी हुई है। यह डूबा जमीन है। इसके कमाण्ड में कोई जंगल नहीं है लेकिन सिंचाई विभाग अपने कार्यालय में बैठे-बैठे हर साल दो-चार हजार रुपया में किसी को नीलाम पर वह जमीन जंगल के नाम पर दे देता है। जो व्यक्ति नीलाम में इस जमीन को लेता है वह इस जमीन के क्षेत्र के अनुसार जंगल से लकड़ी काट कर इसी रास्ते से ले जाता है। इस तरह से जंगल की लकड़ी की चोर-बाजारी की जाती है। इसलिये मेरा सुझाव है कि वन विभाग उस जमीन को सिंचाई से ले लें और अपने कब्जे में कर लें। साथ ही वन विभाग इस जमीन पर जंगल लगाने की व्यवस्था करे ताकि अभी जो गलत काम हो रहा है वह बन्द हो जाय। आज संयोग की बात है कि श्री टी० मुचीराय मुण्डा जैसे सुयोग्य व्यक्ति इस विभाग के मंत्री हैं जिसके चलते आज वन विभाग में काफी तरक्की हो रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री टी० मुचीराय मुन्डा—अध्यक्ष महोदय, वन विभाग की बहस में करीब 23 माननीय सदस्यों ने भाग लिया है। बहुत अच्छे सुझाव माननीय सदस्यों से मिले हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उन सुझावों को अमल करूं। अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में 29,232 वर्ग किलोमीटर जंगल है। इस जंगल का इस तरह से विभाजन है कि 20 परसेंट आर० एफ० (रिजर्व फॉरेस्ट) और 80 परसेन्ट पी० एफ० (प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट) है। आर० एफ० का माने अध्यक्ष महोदय, सरकार का वह जंगल जहां पर रैयतों का कोई हक नहीं होता है, सरकार का पूरा-का-पूरा हक होता है। यह जंगल सिंहभूमि में है। पी० एफ० का माने अध्यक्ष महोदय, प्रोटेक्टेड फारेस्ट है। जमींदारी उन्मूलन के बाद जमीन्दारों के कब्जे में जो जंगल थे वे इसके अन्तर्गत आये।

हमारे बिहार में जंगल की बहुत ही अच्छी स्थिति है और यह खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है। बहुत अच्छे जंगल बिहार में हैं। सभी जंगल में साल का बाहुल्य है। चाईबासा में साल का बहुत ही सुन्दर जंगल है, घनघोर जंगल है। चम्पारण में भी शीशम और साल के जंगल हैं। लेकिन कुछ दिनों से जंगल का ह्रास हुआ है, यह सही बात है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि उस पर फिर से जंगल लगावें, तथा जंगल का ज्यादा-से-ज्यादा विस्तार करें। अध्यक्ष महोदय, हमारा विभाग एक छोटा विभाग है लेकिन एक अच्छा विभाग है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि ठीकेदारी प्रथा के उन्मूलन के लिये हम ने तीन जिला—रांची, सिंहभूमि और पलामू को लिया, और डेढ़ करोड़ रुपया का रिभोलविंग फण्ड रखा है। आपको यह जानकर खुशी होनी चाहिए कि हमारे यहां मिश्राजी एक अच्छे अफसर हैं जो चीफ कंजरवेटर ऑफ फौरेस्ट हैं। लेकिन कुछ माननीय सदस्यों ने उन पर कटाक्ष किया

है। आपको उनके बारे में जानकारी नहीं है, इसलिये ऐसा कहते हैं। जानकारी हो जाय तो ऐसा नहीं कह सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमने जंगल से डेढ़ करोड़ के राजस्व को बढ़ाकर 18 करोड़ पर ला दिया है। आप पलामू के जंगल में जायं, सिंहभूम के जंगल में जायं, रांची के जंगल में जायं, जगह-जगह सरकारी डीपो हैं और वहां लकड़ी इकट्ठी है, नीलाम हो रहे हैं। वहां लोगों को लकड़ी आसानी से मिले इसके लिये डिपो है जहां सबसिडाइज्ड रेट पर लकड़ी मिलती है। यह 9 महीने पहले किया है। आप अच्छे ऑफिसर को कटाक्ष करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिये इससे मनोबल घटता है। हमारा प्लानटेसन का भी बहुत काम हुआ है। हम 44 हजार में प्लानटेसन कर रहे हैं यह 14 सौ किलोमीटर को लम्बाई पर किये जायंगे। आप पटना से रांची जायं—रजौली होकर आप हमारा काम देखेंगे। आप रांची से जमशेदपुर जायं—वहां आप हमारा काम देखेंगे। कोसी गंडक के तटबंध पर हमारा काम देखेंगे। कोसी के तटबंध पर 5 साल का पेड़ है वह 32 लाख का होगा। गंडक के तटबंध पर हमने सीशम का पेड़ लगाया है। आप माननीय सदस्य जंगल के महत्व को जानते हैं, आप के सहयोग की अपेक्षा है। माननीय सदस्य अकलू राम महतो बोकारो से आते हैं, वे जंगल के महत्व को जानते हैं फिर भी जंगल के खिलाफ बोलते हैं। बोकारो में जो हमारा प्लानटेसन था उसको आप कटवा रहे हैं। जो भी कारण हो, हो सकता है कि आपका ही हक हो लेकिन हम पेड़ लगवा रहे हैं और आप कटवा रहे हैं। श्री झा ने स्वायल कनजरवेसन के बारे में अच्छी बात कही है। जंगल के रहते से कनजरवेसन होता है। जंगल के लोग पहाड़ से जो मिट्टी आती उसको पसन्द करते हैं। श्री टीका राम मांझी ने अच्छा सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि जंगल के किनारे में रहनेवाले आदिवासी को अगर काम नहीं देंगे, रोजगार नहीं देंगे तो वे लकड़ी को काटेंगे ही। मैं इसके मानता हूं और उनको रोजगार दिया जाय इसपर मैं सोच रहा हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं, सोच रहा हूं कि कौन-सा रोजगार जंगल के किनारे-किनारे किया जाय ताकि उन लोगों के रोजी-रोटी की समस्या हल हो सके। आप लोगों ने जो सुझाव दिया है उस पर मैं विचार करूंगा। उसको अमल में लाऊंगा। हमारे सिंहभूम जिले के माननीय सदस्यों ने जंगल के बारे में कहा है जबकि वे जंगल की सारी समस्याओं के बारे में जानते हैं तौभी जंगल के बारे में बोलते हैं। वे कहते हैं कि इसकी रक्षा की जाय लेकिन वे जंगल काट कर ही अपना काम करते हैं। माननीय सदस्य टीका राम मांझी ने कहा, वे अभी सदन में नहीं हैं लेकिन उन्होंने जो सुझाव दिया

है उसको भी मैं देखूंगा और उसको अमल में लाने की कोशिश करूंगा। माननीय रत्नाकर नायक जी ने जो कहा है जंगल के बारे में उसके बारे में भी मैं सोचूंगा। अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं आदिवासी में कुछ नेता होते हैं उसको सुनकर आप दंग रह जायेंगे। वे आदिवासियों के बीच में रहते हैं और वे बाहर के होते हैं। आप सुनकर उनके बारे दंग रह जायेंगे। करीब 1947-48 में साहू का दाम मेरे इलाके में दो रुपये था और चना का दाम चार रुपये था। कुछ लोग गये टोपी वाले, पगड़ी वाले। वे लोग उनलोगों के बीच में जाकर सोचे कि पैसा कमाया जाय। वे टोकरी में चना का भूंजा ले लिये और देहाते-देहाते गये और कहा कि भूंजा बराबर साहू। वह एक वर्ष में एक गांव ले लिया और दो-तीन आदिवासी जो अच्छे जमीन वाले थे टोकरी ढोना शुरू कर दिया। तो, अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह से आदिवासियों का शोषण किया गया है। ठीक है, सरकार की भी जिम्मेवारी है इसको भी सरकार करेगी। माननीय सदस्य इन्दर सिंह नामधारी जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया। वे पलामू में रहते हैं और वन विभाग की हालत को अच्छी तरह जानते हैं। हम उनसे सीखना चाहते हैं। लेकिन वे कभी-कभी उट-पटांग बातें करते हैं। यह हमें समझ में नहीं आती है। जबकि वे जंगल में रहते-रहते जंगल को समझने लगे हैं। जो इनके साथ रहते थे उनको 50 प्रतिशत में क्या दस प्रतिशत में ही दिया जाता था। उस समय ये बहुत खुश थे। लेकिन इस बार उनको नहीं दिया गया इसलिये ये खुश नहीं है। उस समय चुनाव का समय था और इनको वहां का कोई मदद नहीं मिली। इसलिये वे हम पर खीखलाये हुए हैं। इसी तरह से श्री मानीक चंद जी ने और देवेन्द्र नाथ चंपियाजी ने भी सुझाव दिया। माननीय सदस्य देवेन्द्र नाथ चम्पिया भी बहुत अच्छा सुझाव दिये हैं। वे पलामू से आते हैं उन्होंने लकड़ी कटाई के संबंध में बातें कहीं हैं। आपको जानकारी होनी चाहिये कि वहां लकड़ी कटाई कैसे हो रही है और जंगल के आदिवासी कैसे बहकाये जाते हैं। वहां के जंगल कटाई की बात पेपर में भी निकली थी। इसलिये उनको इस संबंध में कहने का कोई हक नहीं है। माननीय सदस्य सुरेश राम ने भी जंगल के संबंध में कहा कि वहां जंगल की चोरी होती है। मैं उसकी जांच करा रहा हूं। श्री मंगल सिंह लामाय ने गुवा-किरीबुरू के संबंध में सुझाव दिया। मैं उनके सुझाव पर अमल करूंगा। माननीय सदस्य राजेन्द्र नाथ दां ने कहा कि सबसिडाइज्ड रेट पर लकड़ी का डीपो खोला जाय मैं उसके लिये भी कोशिश करूंगा। माननीय सदस्य तुलसी रजक ने पटौंदा के संबंध में कहा कि

वहां लकड़ी का कोई डीपो नहीं है। मैं उनसे कहता हूं कि वे वहां रहते कहां है? वे तो जमशेदपुर में रहते हैं। पटौंदा में तो हमारा डीपो है। माननीय सदस्य शरत कुमार जैनजी ने कहा कि चंदन का जंगल लगाया जाय। अभी भी हमारे यहां 5 सौ चंदन के पेड़ हैं और वह बढ़ रहा है।

उसी तरह माननीय सदस्य श्री चन्द्रिका पाण्डेय जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। माननीय सदस्य श्री पालित जी ने लकड़ी के बारे में कहा है। श्री वर्मा जी ने चम्पारण के बारे में कहा है। अब मैं अपनी पोलिसी के बारे में कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमने ठीकेदारी प्रथा को इस साल से सारे जंगलों से समाप्त कर दिया और अब डिपार्टमेंटल वर्किंग से काम करेंगे। परसाल भी पेड़ लगाये गये और सड़कों के किनारे, रेल के किनारे, नहरों के तटबन्ध पर इस साल हम 9 करोड़ पेड़ लगा रहे हैं। परसाल पांच करोड़ पेड़ लगवाया था जिसमें करीब 80 से 85 प्रतिशत पेड़ सरभाइव किये हैं और इस साल 9 करोड़ पेड़ लगवायेंगे। मौनसून अभीतक नहीं आया है संभवतः कुछ कम हो सकता है। इस तरह जो हमारे विभाग का कार्यक्रम है पेड़ लगाने का उसमें ज्यादा-से-ज्यादा पेड़ लगवायेंगे और हम जंगल को कटने नहीं देंगे। जंगल में गरीब लोग जाते हैं उनके लिये रोजगार का प्रबन्ध करेंगे और जंगल में जाने पर रोक लगावेंगे। इस साल से ठीकेदारी प्रथा खत्म कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, जंगली आयल सीड जैसे महुआ, कुसुम को नेशनलाईज किया है और इससे गरीब आदिवासियों को अच्छा प्राईस मिला है और सरकार को अच्छा रेवेन्यू मिला है। इसलिये मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि उनका जो कटौती का प्रस्ताव है उसको उठा लें और हमारी मांगों को स्वीकृत करें।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:

"इस शीर्षक की मांग 10 रुपये से घटाई जाय।"

यह कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

मूल प्रस्ताव।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:

"वन के संबंध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 19,92,80,000 (उन्नीस करोड़ बेरानबे लाख अस्सी हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

यह मांग स्वीकृत हुई।